पूरन मल

बनाम

निरीक्षण निदेशक, आयकर (अन्वेषण), नई दिल्ली और अन्य

[Pooran Mal

Vs.

[Director of Inspection (Investigation) of Income-tax, New Delhi and Others]

हनुमान प्रसाद गनेरीवाला

बनाम

निरीक्षण निदेशक, आयकर, नई दिल्ली

(Hanuman Prashad Ganeriwala

Vs.

Director of Inspection, Income-tax, New Delhi)

जगत राम मागो और अन्य

बनाम

आर० एन० लिमये और अन्य

(Jagat Ram Mago and Others

Vs.

R. N. Limaya and Others)

और

रामजीदास शर्मा और अन्य

बनाम

आर० एन० लिमये और अन्य

(Ramji Das Sharma and Others

Vs.

R. N. Limaya and Others)

(14 दिसम्बर, 1973)

(मुख्य न्यायाधिपति ए० एन० रे, न्या० डी० जी० पालेकर, वाई० वी० चन्द्रचूड़, ए० अलगिरिस्वामी और पी०एन० भगवती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 132, और 132 क—ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तलाशी और अभिग्रहण का आदेश जिनके बारे में अपनी आय और सम्पत्ति पर कर की अदायगी से अवैध रूप से बच निकलने का आरोप हो—सरकारी शोध्यों को वसूल करने की दृष्टि से ऐसी आय और सम्पत्ति तक पहुंचना—आयकर विभाग के उच्चतम अधिकारियों द्वारा तलाशी और अभिग्रहण का आदेश—ऐसा आदेश देने के पहले धारा 132(1) (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित तीन शर्तों में से किसी एक की पूर्ति के बारे में ऐसे अधिकारी का साधार विश्वास—तलाशी और अभिग्रहण के उपबन्धों की कठोरता कम करने के लिए धारा 132 और 132 क में रक्षोपायों की व्यवस्था—तलाशी और अभिग्रहण के ऐसे उपबन्धों को अनुच्छेद 19(1) (च) (छ) का अतिक्रमण करने वाला नहीं समझा जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), धारा 132 (5)—सरकार को शोध्य कर—करों का संदाय अवैध रूप से रोके रखना—आस्तियों का अभिग्रहण—अभिग्रहण का उद्देश्य सरकारी शोध्यों का संदाय शीघ्रता के साथ कराना—अन-अपेक्षित आस्तियों की वापसी का उपबन्ध—प्राक्कलित शोध्यों के संदाय के लिए समाधानप्रद व्यवस्था कर देने पर सभी आस्तियों की वापसी की व्यवस्था—धारा 132 (5) को अधिहरणात्मक (कन्फिस्केटरी) नहीं समझा जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), धारा 132(1) और (5)—छिपाई गई आय तथा उसको छिपाने के स्थान के बारे में इत्तिला—ऐसी इत्तिला का निरीक्षण निदेशकों को समय से प्राप्त हो जाना—तलाशी और अभिग्रहण का निदेश केवल उन्हीं करापवंचकों (टैक्स इवेडर्स) के बारे में दिया जाना, जिनके सम्बन्ध में ऐसी इत्तिला मिली हो—इसी प्रकार की तलाशी और अभिग्रहण का आदेश उन करापवंचकों के बारे में न किया जाना जिनके सम्बन्ध में इस प्रकार की इत्तिला प्राप्त न हुई हो—ये उपबन्ध निर्धारण की प्रक्रियाओं की विविधता के कारण विभेदकारी नहीं समझे जाएंगे।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 132—तलाशी और अभिग्रहण के दौरान दस्तावेजों का पकड़ा जाना—ऐसे दस्तावेजी

साक्ष्य का सुसंगत होना—तलाशी और अभिग्रहण के अवैध होने पर भी दस्तावेजी साक्ष्य को अग्राह्य नहीं समझा जाएगा—ऐसे साक्ष्य का प्रयोग रोकने के लिए प्रतिषेध का रिट नहीं निकाला जाएगा।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)—धारा 132—तलाशी और अभिग्रहण—कुछ असंगत दस्तावेजों का अभिग्रहण—तलाशी का 16 घंटे तक निरंतर जारी रहना—ऐसी तलाशी अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

इन कार्यवाहियों में—जिनमें दो संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन हैं और अन्य दो अनुच्छेद 226 के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें हैं—आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 132 के अधीन कतिपय परिसर की तलाशी और अभिग्रहण के रूप में की गई कार्रवाई के बारे में इस आधार पर अनुतोष का दावा किया गया है कि तलाशी के लिए प्राधिकरण एवं तलाशी और अभिग्रहण अवैध था। चुनौती सांविधानिक और असांविधानिक दोनों प्रकार के आधारों पर दी गई है।

सांविधानिक चुनौती अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) और (5) के विरुद्ध और आनुषंगिक रूप से नियम 112क के विरुद्ध भी इस आधार पर की गई है कि ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (च)(छ) और 31 का अतिक्रमण करते हैं। चुनौती के असांविधानिक आधार इस आशय के अभिकथनों पर आधारित हैं कि तलाशी और अभिग्रहण नियम 112 के साथ पठित धारा 132 के अनुसार नहीं किए गए थे। इस चुनौती पर प्रत्येक मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाएगा।

अभिनिर्धारित—तलाशी और अभिग्रहण का उपाय वस्तुतः आपत्तिजनक होगा यदि इसके क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके असम्यक् और अनुचित प्रयोग के विरुद्ध रक्षोपाय न हों। व्यापक प्रस्थापना के रूप में अब यह कथित करना संभव है कि यदि रक्षोपाय सामान्यतया दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा अंगीकृत रूप-रेखा के आधार पर हैं तो वे उपयुक्त समझे जाएंगे और उस उपाय द्वारा अधिरोपित अस्थायी निर्बन्धनों को युक्तियुक्त बनाएंगे। अभी जो मामला प्रोधृत किया गया है इसमें धारा 41 की उपधारा (2) का एक परन्तुक था जिसमें यह विहित किया गया था कि उपधारा के अधीन सभी तलाशियां, यावत्शक्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धोंके अनुसार की जाएंगी। यह उल्लेख करने के बाद कि उपधारा (2) के अधीन की गई तलाशियों के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 में

1973(12) eILR(PAT) SC 305

उपबन्धित रक्षोपाय भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । वे रक्षोपाय ये हैं— (i) सशक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार होने चाहिए कि उसकी अधिकारिता के भीतर वाले किसी स्थान में कर की वसूली के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई चीज पाई जा सकती है, (ii) उसकी यह राय होनी चाहिए कि ऐसी चीज अन्यथा असम्यक् विलम्ब किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, (iii) उसे अपने विश्वास के आधार लेखबद्ध करने चाहिएं, और (1) जहां तक सम्भव हो उसे अपने लेखन में उस चीज का नाम विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए तलाशी की जानी है इन सब बातों के करने के बाद वह तलाशी कर सकता है। जो रक्षोपाय हमारी राय में उपधारा (2) के अधीन तलाशियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं उनसे स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि उपधारा (2) के अधीन तलाशी करने की शक्ति मनमानी है। इन रक्षोपायों और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 में उपबन्धित अन्य रक्षोपायों की दृष्टि से, जो कि उपधारा (2) के अधीन की गई तलाशियों के सम्बन्ध में यावत्शक्य लागू होते हैं, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई कारण नहीं देखते हैं कि उपधारा (2) में उपबन्धित तलाशी द्वारा सम्पत्ति धारण करने और व्यापार चलाने के अधिकार पर यदि कोई निर्बन्धन हैं तो वह तलाशी के उद्देश्य अर्थात् कर अपवंचन को रोकने को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं है। (पैरा 10)

अतः हमें देखना यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 132 में समाविष्ट रक्षोपाय क्या हैं। प्रथमतः इस बात पर ध्यान दिया जाए कि तलाशी और अभिग्रहण का आदेश देने की शक्ति विभाग के उच्चतम अधिकारियों में निहित है। दूसरे इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है कि जब ऐसे व्यक्ति को यह युक्तियुक्त विश्वास हो जाए कि धारा 132(1) (क) और (ग) में वर्णित तीन शर्तों में से कोई विद्यमान है। इस सम्बन्ध में आगे यह उल्लेख किया जा सकता है कि नियम 112 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को उपधारा (1) में वर्णित अधिकारियों को प्राधिकरण देने से पूर्व अपने कारण अभिलिखित करने होंगे। तीसरे, तलाशी का प्राधिकरण आयकर अधिकारी से नीचे के किसी अधिकारी के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। चौथे, प्राधिकरण उपधारा (1) में (i) से (v) में प्रगणित विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो जो कि सब कठोरता पूर्वक तलाशी के उद्देश्य तक सीमित हैं। पांचवे, जब धन, सोना, चांदी आदि अभिगृहीत की जाए, तो आयकर अधिकारी को यह अवधारित करने की दृष्टि से संक्षिप्त जांच करनी होगी कि जो कुछ अभिग्रहीत किया गया है उसमें से कितना अंश प्राक्कलित कर दायित्व को निपटाने के लिए उसके द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और कितना तुरन्त लौटाना

होगा। उपधारा (5) के अधीन जांच का उद्देश्य जहां तक हो सके निर्धारिती की असुविधा को कम करना है, ताकि युक्तियुक्त समय के भीतर जितना निर्धारिती से सरकार को देय कर प्राक्कलित किया गया है उतना प्रतिधारित किया जाए और जितना निर्धारिती को वापस करना है उतना ही उसे तुरन्त वापस किया जाए। अभिगृहीत लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों के बारे में भी उनकी वापसी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रत्याभूत की गई है। इसी बीच वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में से वे अभिगृहीत की गई है, प्रतिलिपियां बनाने और अंश लेने के लिए अनुज्ञात है। छठे, जहां धन, सोना, चांदी आदि अभिगृहीत की गई हो, वहां वह भी सम्बन्धित व्यक्ति को, उसके द्वारा उपधारा (5) के अधीन प्राक्कलित कर शोध्यों के संदाय के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के बाद, तुरन्त वापस की जा सकती हैं और अन्तिमतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, धारा 132 के अधीन सभी तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होते हैं। नियम 112 प्रसामान्य शिष्टाचार का पालन करने के पश्चात्, वास्तविक तलाशी और अभिग्रहण किए जाने के लिए उपबंध करता है। तलाशी वाले स्थान के भारसाधक व्यक्ति को अभिगृहीत वस्तुओं की सूची की एक प्रतिलिपि तुरन्त दी जाएगी। एक प्रतिलिपि प्राधिकरण अधिकारी को भेजी जाती है। अभिग्रहण के पश्चात् वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबंध भी नियम 112 में किए गए हैं। ये रक्षोपाय तलाशी और अभिग्रहण के उपबंधों को कम से कम दुर्भर और निर्बन्धनकारी बनाने के लिए पर्याप्त हैं जितना कि परिस्थितियों के अन्तर्गत संभव है। अतः धारा 132 और नियम 112 में तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबंधों को अनुच्छेद 19(च) और (छ) के अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता। (पैरा 11)

धारा 132(5) का प्रभाव अधिहरणात्मक (कन्फिस्केटरी) नहीं है। इस उपबंध का उद्देश्य अभिगृहीत आस्तियों में से उतना प्रतिधारित करने के पश्चात् जितना सरकार को कर के रूप में देय है और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से विधारित किया गया है, शेष की वापसी में शीघ्रता करना है। आस्तियों का अभिग्रहण ईमानदारी से इस विश्वास के साथ किया गया है कि आस्तियों से अप्रकट आय या सम्पत्ति प्रकट होती है। किन्तु आयकर अधिकारी इस विश्वास मात्र पर निर्भर नहीं कर सकता। उसे सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना देने के बाद संक्षिप्त जांच करनी चाहिए। पश्चात्कथित को यह दर्शित करने का अवसर मिलना चाहिए कि उसने आय सम्यक्तः प्रकट कर दी थी। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो अधिकारी इस आधार पर अग्रसर होने के लिए हकदार है

कि यह अप्रकट आय है और सुसंगत सामग्री के आधार पर अवधारित कर का विस्तृत प्राक्कलन करेगा। ऐसे कर की जितनी रकम सरकार की है उतनी आयकर अधिकारी द्वारा प्रतिधारित की जाएगी और शेष रकम तुरन्त निर्मुक्त कर दी जाएगी। हमारी समझ में नहीं आता कि इसे अधिहरण कैसे कहा जा सकता है। वस्तुत: उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक से यह दर्शित होता है कि निर्धारिती सभी अभिगृहीत आस्तियों की निर्मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वह प्राक्कलित देयों के संदाय का समाधानप्रद इन्तजाम कर सके। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपधारा (5) के अधीन जांच, नियमित निर्धारण या पुर्नर्निधारण का प्रतिस्थापन नहीं है। अधिकारिता रखने वाला आय का अधिकारी सम्यक् अनुक्रम में निर्धारण की कार्यवाही करेगा और संदेय कर की सही रकम का अवधारण करेगा। इसी बीच प्रतिधारित आस्तियां उन कर-देयों को पूरा करने के लिए परिबद्ध किए जाने के रूप में ही होती हैं जो किसी कारणवश संदेय पाए जाएं। यदि धारा 132(5) के अधीन वाली जांच के कारण, जो कि स्वीकृत रूप से एक संक्षिप्त जांच होती है, देयों से अधिक रकम प्रतिधारित कर ली जाती है तो वह धारा 112क के अधीन 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित वापिस करनी होगी। (पैरा 15)

धारा 312, 132क या नियम 112 एस के उपबंधों में से किसी के द्वारा लगाए गए निर्बन्धन अनुच्छेद 19(1)(च) और (छ) के अधीन वाले स्वातंत्र्यों पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं है। इससे आगे यह तर्क दिया गया कि धारा 132(1) और (5) इस आधार पर मूल अधिकार का अतिक्रमणकारी है कि (1) वे कर अपवंचकों के बीच अन्यायसंगत विभेद करते हैं क्योंकि वे, उनको, जिनके कब्जे में अप्रकट आय या सम्पत्ति होने का विश्वास किया जाता है उन कर अपवंचकों से प्रभेदित करते हैं जिनके कब्जे में होने का विश्वास नहीं किया जाता है और (2) यद्यपि सभी अपवंचकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 147 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है, तो भी उनमें से कुछ ही, धारा 132(5) के अधीन वाली प्रक्रिया के अधीन होने के लिए दायित्वाधीन हैं, जिनके कब्जे में अप्रकट आय या सम्पत्ति पाई जाएं। हमें इस तर्क में कोई सार दिखाई नहीं पड़ता। धारा 132 के अधीन सभी कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कुछ ही मामलों में तलाशी उपयोगी हो सकती है दूसरों में नहीं। यदि निरीक्षण निदेशक को अप्रकट आय और उसकी अवस्थिति के बारे में समय के अन्दर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वह तलाशी और अभिग्रहण का निदेश दे सकता है। अन्यथा तलाशी और अभिग्रहण का निर्देश देना व्यर्थ होगा क्योंकि समस्त प्रयत्न निष्फल होगा। अभिग्रहण के लिए उपबंध उस आय को निकालने के उद्देश्य से प्रकल्पित किया

गया है जिसे निर्धारिती ने अवैध रूप से छिपाया है। वह तभी आवश्यक प्राधिकरण देने की स्थिति में होगा जब उसका ईमानदारी से यह समाधान हो गया हो कि यदि तलाशी का निदेश किया जाए तो किसी व्यक्ति की कुछ अप्रकट आय का हाथ लगाना संभाव्य है। तथापि वह उस कर अपवंचक के बारे में तलाशी का निदेश नहीं दे सकता जो अपनी समस्त आय को खर्च करने के लिए काफी चतुर है या अन्यथा उसका पता लगाना असंभव बना देगा। अधिनियम की धारा 147 से प्रयोजनों के लिए सभी कर अपवंचक कर निर्धारण की उसी प्रक्रिया के अधीन होते हैं जिनके अन्तर्गत वे भी होते हैं जिनके विरुद्ध धारा 132 के अधीन कार्यवाही की गई है। जिन निर्धारितियों की आस्तियां उनके कर दायित्वों की वसूली के लिए अभिगृहीत की जा सकती हैं, वे इस रूप में, एक भिन्न वर्ग में नहीं आते हैं बल्कि दूसरे उन लोगों से एक भिन्न स्थिति में होते हैं जिनके विरुद्ध तलाशी और अभिग्रहण प्रक्रिया यद्यपि उपलभ्य है, फिर भी निरर्थक होगी। नकदी, आभूषण और वैसी ही अन्य वस्तुओं के रूप में अप्रकट आय के मिलने से उपधारा (5) के उपबंध अनिवार्य हो जाते हैं। कर प्राधिकारी इस बात को देखे बिना कि जो कुछ अभिग्रहीत किया गया है उसमें से कितना कर के रूप में सरकार को जाएगा, मूल्यवान वस्तुओं को अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए निर्धारिती का ध्यान रखते हुए उपधारा (5) विमर्शित रूप से पुरःस्थापित की गई थी। वस्तुओं के स्वरूप की दृष्टि से उन कर अपवंचकों की दशा में ऐसी कोई जांच असंभव होगी जिनकी तलाशी लेने पर कुछ भी अभिग्रहीत नहीं किया जाता है या किया जा सकता है। (पैरा 16)

नियमित कर-निर्धारण के विषय में उपधारा (5) कोई भिन्न प्रक्रिया अनुध्यात नहीं करती है। धारा 132क देखिए जो यह दर्शित करती है कि जिनके कब्जे में से तलाशी लेने पर अप्रकट आय पाई जाए वे नियमित कर निर्धारण या पुनर्निधारण किए जाने के दायित्वधीन हैं। उपधारा (5) यह अवधारित करने की दृष्टि से कि अभिग्रहीत धन में से कितना पहले से उपगत कर दायित्व को पूरा करने के लिए विधिसम्मत और युक्तियुक्त रूप से प्रतिधारित किया जा सकता है, एक अनन्तिम संक्षिप्त जांच को ही अनुध्यात करती है। तत्पश्चात् नियमित कर निर्धारण उसी रीति से होता है जैसे उन कर अपवंचकों की दशा में होता है जिनके कब्जे में छिपाई गई आय नहीं पाई जाती है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अभिग्रहण के कारण सरकार नियमित कर-निर्धारण समाप्त होने से पूर्व अपने कर देयों को प्राप्त करने की स्थिति में हो जाती है। किन्तु यह ऐसे निर्धारितियों के नियमित कर-निर्धारण के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया पुरः स्थापित नहीं करती है जो कि सभी कर अपवंचकों के लिए एक सी है। पहले वर्ग के मामलों में राजस्व

प्राधिकारी वसूलियों को निश्चित बनाते हैं, दूसरे में वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं—इसलिए नहीं कि धारा 132 के उपबन्ध उन्हें लागू नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि उस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण द्वारा की गई कार्यवाही निरर्थक होगी। अतः इस दलील में कोई सार नहीं है कि कर-निर्धारण के लिए दो भिन्न प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं और इस प्रकार अनुच्छेद 14 के अधीन विभेद है। (पैरा 17)

न्यायालय को अवैध तलाशी के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त साक्ष्य को ग्रहण करने का विवेकाधिकार प्राप्त है और सम्मति के बिना व्यक्ति या सम्पत्ति की तलाशी के विरुद्ध सांविधानिक संरक्षण से न्यायालय का विवेकाधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। (पैरा 23)

जहां साक्ष्य की ग्राह्यता की कसौटी सुसंगतता में निहित है वहां जब तक संविधान या अन्य विधि में अभिव्यक्त या आवश्यक रूप से विवक्षित प्रतिषेध न हो तब तक अवैध तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त साक्ष्य को निकाला नहीं जा सकता। (पैरा 23)

तलाशी और अभिग्रहण आयकर अधिनियम की धारा 132 के उपबन्धों के उल्लंघन में था तो भी अभिगृहीत वस्तुएं उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसकी अभिरक्षा में से वे अभिगृहीत की गई थीं, आयकर प्राधिकारी के समक्ष विधि के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जाने के दायित्वाधीन थीं और इसलिए ऐसे उपयोग के अवरोध में कोई प्रतिषेध रिट अनुदत्त नहीं किया जा सकता। (पैरा 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1968]	(1968) 1 एस० सी० आर० 148 : **कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज और अन्य** बनाम **आर० एस० झवेर और अन्य** (The Commissioner of Commercial Taxes and Others *Vs.* R. S. Jhaver and Others);	9
[1954]	(1954) एस० सी० आर० 1077 : **एम० पी० शर्मा** बनाम **सतीश चन्द्र** (M. P. Sharma *Vs.* Satish Chandra);	8, 22
[1950]	(1950) एस० सी० आर० 88 : **ए० के० गोपालन** बनाम **मद्रास राज्य** (A. K. Gopalan *Vs.* State of Madras);	22

[1913] आई० एल० आर० (1913) 35 इलाहाबाद 358 : **एम्प्रर बनाम अल्लादाद खां** (Emperor *Vs.* Allahdad Khan) 23

[1888] (1888) 277 यू० एस० 438=(1927) 72 लॉइयर्स एडिशन 438 : **ओम्सटेड बनाम यूनाइटेड स्टेट्स** (Olmstead *Vs.* United States); 23

अवलम्बित निर्णय

[1971] (1971) 80 आई० टी० आर० 721 : **रामजी भाई कालीदास** बनाम **आई० जी० देसाई, आयकर अधिकारी और अन्य** (Ramjibhai Kalidas *Vs.* I. G. Desai, Income-Tax Officer and Others); 18

[1967] (1967) 66 आई० टी० आर० 212 : **सी० वेंकट रेड्डी और एक अन्य** बनाम **आयकर अधिकारी (केन्द्रीय)** I, **बंगलौर और अन्य** [C. Venkata Reddy and Another *Vs.* Income-Tax Officer (Central) I, Bangalore and Others]. 18

अनुसरित निर्णय

[1969] (1969) 1 ए० सी० 304 : **हरमन किंग** बनाम **दि क्वीन** (Herman King *Vs.* The Queen); 23

[1955] (1955) ए० सी० 197 : **कुरुमा** बनाम **दि क्वीन** (Kuruma *Vs.* the Queen); 23

[1910] आई० एल० आर० (1910) 37 कलकत्ता 467 : **बरिन्द्र कुमार घोष और अन्य** बनाम **एम्प्रर** (Barindra Kumar Ghose and Others *Vs.* Emperor). 23

आरम्भिक अधिकारिता : 1971 का रिट पिटीशन संख्या 446 और 1972 का रिट पिटीशन संख्या 86.

मूल अधिकारों के प्रवृत्त किए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन फाइल किए गए रिट पिटीशन।

1968 की सिविल अपील संख्या 1319 और 1320.

1966 के रिट पिटीशन संख्या 798-डी और 800-डी में दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 22 मार्च, 1968 वाले निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें।

पिटीशनर की ओर से (1971 के रिट पिटीशन संख्या 446 में)	सर्वश्री एन० डी० करखनिस और राम लाल
पिटीशनर की ओर से (1972 के रिट पिटीशन संख्या 86 में)	सर्वश्री एन० डी० करखनिस, बलराम सन्धी, ए० टी० एम० सम्पत, एम० एम० एल० श्रीवास्तव और ई० सी० अग्रवाल
प्रत्यर्थी की ओर से (दोनों रिट पिटीशनों में)	श्री एफ० एस० नारीमन, भारत के अपर महा सॉलिसिटर, सर्वश्री बी० बी० आहूजा और एस० पी० नायर
अपीलार्थियों की ओर से (अपीलों में)	सर्वश्री एम० सी० छागला, एल० एम० सिन्घवी, एस० साधू सिंह, जगमोहन खन्ना, आर० एन० कपूर, श्रीमती निर्मला गुप्ता, श्रीमती मोहिन्दर कौर और कुमारी वीना देवी तलवार
प्रत्यर्थियों की ओर से (अपीलों में)	श्री० एफ० एस० नारीमन, भारत के अपर महॉसालिसिटर, सर्वश्री एस० टी० देसाई, बी० बी० आहूजा और एस० पी० नायर

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डी० जी० पालेकर ने दिया।

न्यायाधिपति पालेकर—

इन कार्यवाहियों में—जिनमें से दो संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन है और अन्य दो अनुच्छेद 226 के अधीन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलें हैं—आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 132 के अधीन कतिपय परिसर की तलाशी और अभिग्रहण के रूप में की गई कार्रवाई के बारे में इस आधार

पर अनुतोष का दावा किया गया है कि तलाशी के लिए प्राधिकरण एवं तलाशी और अभिग्रहण अवैध था। चुनौती सांविधानिक और असांविधानिक दोनों प्रकार के आधारों पर दी गई है। सांविधानिक आधारों को समझने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यहां चारों मामलों के तथ्य दिए जाएं। यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि इन सब मामलों में लेखा पुस्तकों और दस्तावेजों वाली वस्तुएं और रिट पिटीशनों में, नकदी आभूषण और अन्य मूल्यवान भी, उन आयकर प्राधिकारियों द्वारा अभिग्रहीत किए गए थे जो अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के लिए दिए गए प्राधिकरण के अधीन कार्रवाई कर रहे थे। विस्तृत रूप से, सांविधानिक चुनौती अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) और (5) के विरुद्ध और आनुषंगिक रूप से नियम 112क के विरुद्ध भी इस आधार पर की गई है कि ये उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (च), (छ) और 31 का अतिक्रमण करते हैं। चुनौती के असांविधानिक आधार इस आशय के अभिकथनों पर आधारित हैं कि तलाशी और अभिग्रहण नियम 112 के साथ पठित धारा 132 के अनुसार नहीं किए गए थे। इस चुनौती पर प्रत्येक मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाएगा।

2. अधिनियम का अध्याय XIII आयकर प्राधिकारियों, और उनकी शक्तियों तथा अधिकारिता के बारे में है। धारा 116 में दिए गए प्राधिकारियों के पदानुक्रम से यह प्रकट होता है कि निरीक्षण निदेशक के नाम से पदाभिहित प्राधिकारियों के वर्ग को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से नीचे और आयकर आयुक्त कहलाने वाले प्राधिकारियों के वर्ग से ऊपर दर्शित किया गया है। अन्य वर्णित प्राधिकारी आयकर कार्यालय के सहायक आयुक्त और आयकर निरीक्षक हैं। धारा 117 दर्शित करती है कि इन प्राधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। धारा 118 में अधीनता और नियंत्रण का उल्लेख है। धारा 119 में अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश और निदेश देने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख है। धारा 120 के अधीन निरीक्षण निदेशकों को किसी अन्य आयकर प्राधिकारी के ऐसे कृत्य करने होते हैं जो उन्हें बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं। यह स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा निरीक्षण निदेशक को अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के कृत्य सौंपे जा सकते हैं।

3. इसके पश्चात् हम इस अध्याय के भाग-ग पर आ सकते हैं जो शक्तियों के बारे में है। धारा 131 कहती है कि आयुक्त से लेकर नीचे आयकर अधिकारी तक के प्राधिकारियों को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो विभिन्न मामलों के बारे में, जिनके अन्तर्गत किसी व्यक्ति की हाजिरी कराना या लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करना भी है, सिविल प्रक्रिया संहिता

के अधीन किसी न्यायालय को प्राप्त हैं। धारा 132 तलाशी और अभिग्रहण के लिए उपबन्ध करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 की धारा 37 (2) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की सीमित शक्ति आयकर प्राधिकारियों को 1956 में दी गई थी। वर्तमान आयकर अधिनियम ने आरम्भ में धारा 132 के अधीन यह शक्ति उसी रूप में दी थी जिस रूप में धारा 37 (2) में दी गई थी। किन्तु धारा 132 में 1964 और 1965 में और संशोधन किए गए। 1956 के संशोधन के अधीन दो धाराएं अर्थात् धारा 132 और 132क मूल धारा 132 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई थीं। हमारा सम्बन्ध इन्हीं धाराओं से है। अतः यह आवश्यक होगा कि सबसे पहले उन्हीं को उद्धृत किया जाए—

"धारा 132(1) जबकि प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप निरीक्षण निदेशक या आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि —

(क) ऐसे किसी व्यक्ति ने जिसको किन्हीं लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने या पेश कराने के लिए भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन कोई समन, जारी किया गया था या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई थी, ऐसे समन या सूचना द्वारा यथा अपेक्षित लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को पेश करने या पेश कराने में लोप किया है या वह असफल रहा है, या

(ख) कोई व्यक्ति, जिसे यथापूर्वोक्त समन या सूचना जारी की गई है या जारी की जाए, किन्हीं ऐसे लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को, जो भारतीय आयकर अधिनियम 1922 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होंगी, पेश नहीं करेगा या पेश नहीं कराएगा, या

(ग) किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ हैं और ऐसा धन, सोना-चांदी आभूषण, या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ या तो भागतः ऐसी आय या सम्पत्ति के रूप की है जो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट

नहीं की गई है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् अप्रकटित आय या सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है),

तो वह किसी निरीक्षण उपनिदेशक, सहायक आयुक्त (निरीक्षण) सहायक निदेशक (निरीक्षण) या आयकर अधिकारी को (जो इसके पश्चात् इसमें प्राधिकृत अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) प्राधिकृत कर सकेगा कि वह—

(i) किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करे और तलाशी ले, जहां उसके पास यह सन्देह करने का कारण है कि ऐसी लेखा पुस्तकें, अन्य दस्तावेज, धन, सोना-चांदी आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ रखी हुई है;

(ii) खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी दरवाज़े, बक्से, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र को, जब उनकी कुंजियां उपलभ्य न हों, ताला तोड़ कर खोले;

(iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों, धन, सोने-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ को अभिगृहीत करे;

(iv) किन्हीं लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाए या उससे उद्धरण या उनकी नकलें ले या लिवाएं;

(v) ऐसे किसी धन, सोने-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज को नोट करे या तालिका बनाए।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी में अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या दोनों की सेवाएं अध्यपेक्षित कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे हर अधिकारी का कर्त्तव्य होगा।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, जहां ऐसी किन्हीं लेखा-पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों, धन, सोने-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ को अभिगृहीत करना साध्य नहीं है, उनके स्वामी पर या अन्य उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे या नियंत्रण के अधीन वे तत्काल हैं, इस आदेश की तामील कर सकेगा कि वह उन्हें ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना

न तो हटाएगा, न अलग करेगा और न अन्यथा बरतेगा और ऐसा अधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो इस उपधारा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(4) प्राधिकृत अधिकारी तलाशी या अभिग्रहण के अनुक्रम के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा जिसके कब्जे या नियंत्रण के अधीन कोई लेखा-पुस्तकें, दस्तावेजें, धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज़ पाई जाती है और ऐसी परीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन का तत्पश्चात् भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य में उपयोग किया जा सकेगा।

(5) जहां कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जो इस धारा में और धारा 132क में इसके पश्चात् आस्ति के रूप में निर्दिष्ट है) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की जाती है, वहां आयकर अधिकारी, सम्बन्धित व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी जांच, जो विहित की जाए, करने के पश्चात्, अभिग्रहण से नब्बे दिन के भीतर, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से एक आदेश करेगा जिसमें—

(i) अप्रकटीकृत आय (जिसके अन्तर्गत अप्रकटीकृत सम्पत्ति से आय भी है) ऐसी सामग्री के आधार पर जो उसे उपलभ्य हो उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से संक्षिप्त रीति में प्राक्कलित होगी,

(ii) इस प्रकार प्राक्कलित आय पर, भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, कर की रकम परिकलित होगी,

(iii) यह रकम विनिर्दिष्ट होगी जो इस अधिनियम और धारा 230क की उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी एक या अधिक के अधीन किसी ऐसे विद्यमान दायित्व की पूर्ति के लिए अपेक्षित होगी जिसके बारे में वह व्यतिक्रम करने वाला व्यक्ति है या व्यतिक्रम करने वाला समझा जाता है

और ऐसी आस्तियों या उनके भाग को अपनी अभिरक्षा में प्रतिधारित करेगा जो खण्ड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट रकमों के योग की पूर्ति के लिए उसकी राय में पर्याप्त हों और आस्तियों के अवशिष्ट प्रभाग को,

यदि कोई हो, तत्काल उस व्यक्ति के लिए निर्मुक्त कर देगा, जिसकी अभिरक्षा से उनको अभिगृहीत किया गया था :

परन्तु यदि, अपने पास उपलभ्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात् आयकर अधिकारी की यह राय है कि यह अभिनिश्चित करना संभव नहीं है कि ऐसी आय या उसका कोई भाग किस पूर्व वर्ष या वर्षों से सम्बन्धित है, तो वह यथास्थिति ऐसी आय या उसके भाग पर कर का परिकलन ऐसे कर सकेगा मानों ऐसी आय या भाग उस वित्तीय वर्ष में जिसमें आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं, प्रवृत्त दरों पर कर से प्रभार्य कुल आय थी :

परन्तु यह और कि जहां किसी व्यक्ति ने खण्ड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सभी रकमों या उनके भाग का संदाय कर दिया है या संदाय के लिए समाधानप्रद इन्तजाम कर दिए हैं, वहां आय-कर अधिकारी, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से आस्तियों या उनके ऐसे भाग को जिसे वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे निर्मुक्त कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्रतिधारित आस्तियां धारा 132क के उपवन्धों के अनुसार बरती जा सकेंगी।

(7) यदि आय-कर अधिकारी का समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत आस्तियां या उनका कोई भाग ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या की ओर धारित किए गए थे, तो आय-कर अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के खिलाफ उपधारा (5) के अधीन कार्यवाही आरम्भ कर सकेगा और इस धारा के सब उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

(8) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज़, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की कालावधि से अधिक के लिए प्रतिधारित नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन्हें प्रतिधारित करने के लिए कारण उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं किए जाते और ऐसे प्रतिधारण के लिए आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं कर लिया जाता :

परन्तु आयुक्त लेखा-पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों का तीस दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रतिधारण उसके पश्चात् प्राधिकृत नहीं करेगा जब कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या इस अधिनियम के अधीन सारी कार्यवाहियां उस वर्ष के सम्बन्ध में, जिससे कि वे लेखा-पुस्तकें या अन्य दस्तावेज सुसंगत हैं, पूरी कर ली जाती हैं।

(9) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज़ उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किए जाते हैं, उनकी नकलें या उनसे उद्धरण प्राधिकृत अधिकारी या उस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, ऐसे स्थान और समय पर जो प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त नियत करे, ले सकेगा।

(10) यदि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का वैध रूप से हकदार व्यक्ति, आयुक्त द्वारा उपधारा (8) के अधीन दिए गए अनुमोदन पर किसी कारण आक्षेप करता है, तो वह ऐसे आक्षेप के कारणों का कथन करते हुए और लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को लौटाने के लिए प्रार्थना करते हुए, बोर्ड को आवेदन कर सकेगा।

(11) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अधीन किए गए आदेश पर किसी कारण आक्षेप करता है, तो वह ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आक्षेप के कारणों का कथन करते हुए और उस बाबत समुचित अनुतोष की प्रार्थना करते हुए ऐसे प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए (जो इसके पश्चात्, इस धारा में अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है), आवेदन कर सकेगा।

(12) उपधारा (10) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड, या उपधारा (11) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर अधिसूचित प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझता है।

(13) तलाशियों और अभिग्रहण से सम्बद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन तलाशियों और अभिग्रहण को यावत्शक्य लागू होंगे।

(14) बोर्ड, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण के सम्बन्ध में नियम बना सकेगा; विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया उपबन्धित कर सकेंगे—

(i) तलाशी लिए जाने वाले ऐसे भवन या स्थानों में प्रवेश अभिप्राप्त करना जहां उनमें निर्बाध प्रवेश उपलभ्य नहीं है;

(ii) अभिगृहीत की गई किन्हीं लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना।

स्पष्टीकरण 1—उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए नब्बे दिन की कालावधि संगणित करने में, वह कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी जिसके दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी गई है।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में "कार्यवाही" शब्द से किसी वर्ष की बाबत कोई कार्यवाही अभिप्रेत है, चाहे वह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन हो या इस अधिनियम के अधीन, जो उस तारीख को लम्बित हो जिसको इस धारा के अधीन तलाशी प्राधिकृत है या जो ऐसी तारीख को या उससे पहले पूरी कर ली गई हो और इस अधिनियम के अधीन सब ऐसी कार्यवाहियां इसके अन्तर्गत हैं जो किसी वर्ष की बावत ऐसी तारीख के बाद आरम्भ की जाएं।

132क. (1) धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिधारित आस्तियों को निम्नलिखित रीति में व्यवहृत किया जा सकेगा, अर्थात—

(i) उक्त उपधारा के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व की रकम, और उन पूर्ववर्षों से, जिनसे उस उपधारा के खण्ड (i) में निर्दिष्ट आय सम्बन्धित है, तथा जिनके बारे में वह व्यतिक्रम करने वाला है या व्यतिक्रम करने वाला समझा जाता है, सुसंगत सभी निर्धारण वर्षों के लिए नियमित निर्धारण या पुनः निर्धारण के पूरे होने पर अवधारित दायित्व की रकम, ऐसी आस्तियों से वसूल की जा सकेगी;

(ii) यदि आस्तियां मात्र धन या भागतः धन और भागतः अन्य आस्तियों के रूप में हैं तो आयकर अधिकारी ऐसे धन का उपयोर्जन खण्ड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में कर सकेगा और निर्धारिती इस प्रकार उपयोजित धन के परिमाण तक ऐसे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा;

(iii) धन से भिन्न आस्तियों का उपयोजन भी खण्ड (i) में निर्दिष्ट किसी ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए किया जा सकेगा जो अनिर्वहित रह जाए और इस प्रयोजन के लिए आस्तियां करस्थम् के अधीन समझी जाएंगी मानो ऐसा करस्थम् आयकर अधिकारी

द्वारा धारा 226 की उपधारा (5) के अधीन आयुक्त के प्राधिकार से प्रभावी किया गया था और आयकर अधिकारी ऐसे दायित्वों की रकम को ऐसी आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और ऐसा विक्रय तृतीय अनुसूची में अधिकथित रीति से किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम में अधिकथित किसी अन्य ढंग से पूर्वोक्त दायित्वों की रकम की वसूली को प्रवारित नहीं करेगी।

(3) कोई आस्तियां या उनके आगम जो उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के पश्चात् बाकी रहते हैं तत्काल उस व्यक्ति को दे दिए या संदत्त कर दिए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से वे आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार उतनी रकम पर, जितनी से कि धारा 132 के अधीन प्रतिधारित धन और उस धारा की उपधारा (5) के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व के निर्वहन के लिए विक्रीय आस्तियों के आगम का, यदि कोई हो, योग, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकमों के योग से, अधिक है, छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज संदत्त करेगी।

(ख) ऐसा ब्याज, धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के ठीक बाद की तारीख से उपधारा (1) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट नियमित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख तक या यथास्थिति ऐसे निर्धारणों या पुनर्निर्धारणों की अन्तिम तारीख तक चलेगा।"

4. नियम 112-क को भी चुनौती दी गई है क्योंकि इसमें धारा 132(5) के अधीन वाली जांच के लिए प्रक्रिया विहित की गई है और यह नियम निम्न प्रकार है—

*"**112-क. धारा 132 के अधीन जांच**—(1) जहां कोई धन, सोना, चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान पदार्थ या वस्तु (जिन्हें इसमें इसके

---

*अंग्रेजी में यह इस प्रकार है—

"112-A. Inquiry under section 132—(1) where any money, gold, silver, jewellery or other valuable article or

पश्चात् आस्तियां कहा गया है) अभिग्रहीत किए जाएं, वहां आयकर अधिकारी, अभिग्रहण के पन्द्रह दिन के भीतर, इस व्यक्ति के लिए एक सूचना जिसकी बावत धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन जांच की जानी है, उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को (जो ऐसी सूचना तामील करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्वत्तर न हो) यह अपेक्षित करते हुए निकालेगा कि वह या तो स्पष्टीकरण के लिए आयकर अधिकारी की तारीख पर हाजिर हो या ऐसा साक्ष्य पेश करे या पेश कराए जिसका ऐसा व्यक्ति यह स्पष्ट करने के लिए अवलम्ब ले सकता है कि उन आस्तियों के कब्जे की प्रकृति और अर्जन का स्रोत क्या है।

(2) आयकर अधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए एक सूचना निकाल सकेगा जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वह उसमें विनिर्दिष्ट तारीख को, ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर जो आयकर अधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसे लेखे या दस्तावेज या साक्ष्य जैसा आयकर अधिकारी अपेक्षित करे; पेश करे या पेश कराए और समय-समय पर और भी सूचनाएं निकाल सकेगा जिनमें यह अपेक्षा की जाए कि वह ऐसे और लेखा या दस्तावेज या साक्ष्य पेश करे जिन्हें वह अपेक्षित करे।

---

thing (hereinafter referred to as assets) are seized, the Income-tax Officer shall within fifteen days of the seizure issue to the person in respect of whom inquiry under sub-section (5) of Section 132 is to be made requiring him on the date to be specified therein (not being earlier than fifteen days from the date of service of such notice) either to attend the date of the Income-tax Officer to explain or to produce or cause to be there produced evidence on which such person may rely for explaining the nature of the possession and the source of the acquisition of the assets.

(2) The Income-tax Officer may issue a notice to the person referred to in sub-rule (1) requiring him on a date specified therein to produce or cause Income-tax Officer may specify such accounts or documents or evidence as the Income-tax Officer may require and may from time to time issue further notices requiring production of such further notices requiring production of such further accounts or documents or other evidence as he may requires.

(3) आयकर अधिकारी शपथ पर किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा और ऐसी अन्य जांच कर सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(4) इससे पहले कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध आयकर अधिकारी द्वारा उपनियम (3) के अधीन परीक्षा या जांच के अनुक्रम में प्राप्त किसी वस्तु का उपयोग किया जाए, आयकर अधिकारी उस व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने के लिए एक युक्तियुक्त अवसर देगा कि ऐसी सामग्री का उसके विरुद्ध उपयोग क्यों न किया जाए।"

5. पहले तो यह दिखाई देगा कि तलाशी और अभिग्रहण निदेशित करने की शक्ति निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को दी गई है, दूसरे, ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकरण उन प्राधिकारियों के पक्ष में होना चाहिए जो आयकर अधिकारी की श्रेणी से नीचे के न हों। तीसरे, तलाशी और अभिग्रहण को प्राधिकृत करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण हो कि (1) धारा 132(1) और (3) में वर्णित सुसंगत उपबन्धों के अधीन अध्यापेक्षा के बावजूद अपेक्षित पुस्तकें और दस्तावेजें पेश नहीं की गई हैं; (2) कि कोई व्यक्ति, चाहे उपरोक्त उपबन्धों के अधीन अध्यपेक्षा की गई हो या नहीं, किन्हीं लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को जो आयकर अधिनियम के अधीन वाली किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी होंगे या सुसंगत होंगे, पेश नहीं करेगा या नहीं करायेगा; या (3) कि किसी व्यक्ति के पास कोई धन, सोना चांदी, आभूषण या कोई अन्य मूल्यवान पदार्थ या वस्तु है जो समग्रतः या भागतः अप्रकट आय या सम्पत्ति को रूपित करती है; जब प्राधिकरण, यथास्थिति, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त द्वारा दिया गया हो तो यह उपधारा (1) के उपखण्ड (i) से (v) में वर्णित पांच प्रयोजनों तक सीमित होना चाहिए। उपधारा (14) तलाशी या अभिग्रहण के

---

(3) The Income-tax Officer may examine on oath any other person or make such other inquiry as he may deem fit.

(4) Before any material gathered in the course of the examination or inquiry under sub-rule (3) is used by the Income-tax Officer against the person referred to in sub-rule (1) the Income-tax Officer shall give a reasonable notice to that person to show cause why such material should not be used against him".

सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए उपबन्ध करती है। तदनुसार, नियम 12 विरचित किया गया है जो यह कहता है कि धारा 132 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग नियम 112 में उपनियम (2) से (14) के अनुसार किया जाएगा। ये विस्तृत नियम हैं जिनमें तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए अभिगृहीत वस्तु की अभिरक्षा के लिए प्रक्रिया उपवर्णित की गई है।

6. धारा 132 की उपधारा (5) में उन विशेष मामलों का उल्लेख है जिनमें तलाशी करने पर धन, सोना चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे अप्रकट आय या सम्पत्ति हैं, अभिगृहीत किए जाते हैं। जो कुछ अभिगृहीत किया जाता है वह विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रखा जा सकता। उपधारा (5) यह अपेक्षा करती है कि आयकर अधिकारी को यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि असंदत्त कर देयों के लिए अभिगृहीत मूल्यवान में से कितना प्रतिधारित करना चाहिए; एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिए। अतिशेष तुरन्त निर्मुक्त करना होगा। उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक से आगे यह दर्शित होता है कि धन और मूल्यवान वस्तु आयकर अधिकारी द्वारा प्रतिधारित न भी किए जा सकेंगे यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने उन सब आयकर देयों को संदत्त कर दिया है या संदाय करने के लिए समाधानप्रद इन्तजाम कर दिया है जो उपधारा (5) के अधीन संक्षिप्त रूप में प्राक्कलित किए गए हैं। उपधारा (5) के अधीन संक्षिप्त जांच अभिग्रहण के 90 दिन के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए और उसके अधीन किया गया आदेश आयुक्त के पुर्वानुमोदन के अधीन होता है। धारा 132 की उपधारा (6) के अधीन उपधारा (5) के अधीन प्रतिधारित आस्तियों के बारे में कार्यवाही धारा 132-क के उपबन्धों के अनुसार करनी होती है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शित कर देती है कि आयकर अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा संदेय कर के नियमित निर्धारण या पुर्ननिधारण के लिए अग्रसर होगा। और ऐसे निर्धारण के पश्चात् इस प्रकार संदेय अभिनिधारित कर की रकम धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन प्रतिधारित आस्तियों से करनी होती है। अतिशेष, यदि कोई हो, 9 प्रतिशत ब्याज की दर से लौटाना होगा यदि निर्धारण या पुर्ननिर्धारण धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन किए गए प्रतिधारण आदेश से छह मास के भीतर पूरा नहीं किया जाता है। लेखा-पुस्तकें और दस्तावेजों के बारे में भी, जो अभिगृहीत किए गए हों, प्राधिकृत अधिकारी तब तक 180 दिन से अधिक अवधि के लिए उन्हें प्रतिधारित करने के लिए हकदार नहीं है जब तक कि वह उन्हें प्रतिधारित करने के अपने कारण लेखबद्ध न करे और आयुक्त उसे अनुमोदित न कर दे। तथापि, वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से लेखा-पुस्तकें और दस्तावेजें अभिगृहीत

किए हैं, उनकी प्रतिलिपियां प्राप्त करने या उनमें से उद्धरण लेने के लिए हकदार हैं। दस्तावेजों के प्रतिधारण द्वारा व्यथित व्यक्ति बोर्ड को अभ्यावेदन के लिए हकदार है जो कि एक प्राधिकारी है जिसे आस्तियां प्रतिधारित करते हुए उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश के बारे में आक्षेप करने वाले व्यक्ति द्वारा उपधारा (11) के अधीन अभ्यावेदन किया जा सकता है। विस्तृत रूप से, यह दिखाई देगा कि धारा 132 और नियम 112 और 112क तलाशी और अभिग्रहण तथा तलाशी के बाद अभिगृहीत वस्तुओं के व्ययन के बारे में हैं। अनुच्छेद 19 और 14 के अधीन चुनौती धारा 132 की उपधारा (1) और (5) तथा नियम 112क के विरुद्ध निदेशित की गई है।

7. सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) (छ) के अधीन वाली चुनौती पर विचार करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि आक्षेपित उपबन्ध, प्रत्यक्षतः, उन व्यक्तियों के विरुद्ध निदेशित किए गए हैं जिनके बारे में उपयुक्त आधारों पर यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने अपनी आय और सम्पत्ति पर आयकर के संदाय की अवैध रूप से अपवंचना की है। अतः सरकारी देयों की वसूली करने की दृष्टि से ऐसी आय और सम्पत्ति पर कर प्राप्त करने के लिए कठोर अध्युपाय अपने आप न्यायोचित होंगे। जब किसी को अनुच्छेद 19(1) (च) और (छ) में वर्णित स्वातंत्र्य पर लगाए गए निर्बन्धन या प्रतिबन्धों की युक्तियुक्तता पर विचार करना होता है तो वह इस बात की, संभवतया, अवहेलना नहीं कर सकता कि ऐसे अपवंचन समाज के आर्थिक जीवन को खोखला बना देते हैं। हमारे आर्थिक जीवन की यह सुविदित यथार्थता है कि बेहिसाब धन की बड़ी-बड़ी राशियां प्रचलन में हैं जो उसके परिधान को ही जीर्ण-शीर्ण कर देती हैं। जिस देश ने कराधान की ऊंची दरें अंगीकृत की हों उसमें बेहिसाब धन के एक बड़े अंश से आम तौर पर सरकारी खज़ाना भरना चाहिए। ऐसा करने के बजाय वह अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है। अतः समाज के हित में यही उपयुक्त है कि कर सम्बन्धी प्राधिकारियों को कर अपवंचन रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्राप्त होनी चाहिएं।

8. तलाशी और अभिग्रहण उन लोगों के शस्त्रागार में एक नया हथियार नहीं हैं जिनका कर्त्तव्य सामाजिक सुरक्षा को उसके व्यापक अर्थ में बनाये रखना है। इस प्रक्रिया को सभी सभ्य देशों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। हमारी अपनी दण्ड विधि ने इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 96 से 103 और धारा 165 में स्वीकार किया है। **एम० पी० शर्मा बनाम सतीश चन्द्र**[1] वाले मामले में धारा 96(1) के अधीन तलाशी वारन्ट जारी

[1] (1954) एस० सी० आर० 1077.

करने की शक्ति को अनुच्छेद 19(1) (च) की अतिक्रमणकारी होने के रूप में दी गई चुनौती को इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति विधिशास्त्र की किसी प्रणाली में सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य की एक अध्यारोही शक्ति है और वह शक्ति आवश्यक रूप से विधि द्वारा विनियमित की जाती है। जैसा कि उस मामले में उल्लेख किया गया था तलाशी अपने आप में सम्पत्ति धारण करने और उपयोग करने के अधिकार पर एक निर्बन्धन नहीं है यद्यपि अभिग्रहण अभिगृहीत सम्पत्ति के कब्जे और उपयोग के अधिकार पर एक निर्बन्धन है। किन्तु वह केवल अस्थायी है और वह अन्वेषण के सीमित प्रयोजन के लिए है। तब न्यायालय यह कहने के लिए अग्रसर होता है कि "इसलिए तलाशी और अभिग्रहण तलाशी लिए गए परिसर और अभिगृहीत वस्तुओं को धारण करने के अधिकार में केवल एक अस्थायी हस्तक्षेप है। इस निमित्त कानूनी विनियमन आवश्यक है और युक्तियुक्त निर्बन्धन को स्वत: असांविधानिक नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे अस्थायी हस्तक्षेप द्वारा कारित नुकसान को, यदि कोई हो, विधिक प्राधिकार के आधिक्य में पाया जाए तो वह अन्य कार्यवाहियों में शिकायत करने का विषय होता है। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि इस मामले में प्रश्नगत वारन्टों के बारे में जो कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 96(1) के प्रथम अनुकल्प के अधीन होने तात्पर्यित हैं, अनुच्छेद 19(1) (च) के अतिक्रमण का कोई प्रश्न कैसे अन्तर्वलित है।"

9. जिनका कर्त्तव्य कराधान विधियों को प्रवर्तित करना है उन्हें सौंपी गई वैसी ही शक्तियां इस न्यायालय द्वारा **कमिश्नर आफ कमर्शियल टैक्सेज और अन्य बनाम आर० एस० झवेर और अन्य**[1] वाले मामले में बहाल रखी गई थीं। उस मामले में 1969 के मद्रास जनरल सेल्स टैक्स ऐक्ट को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी उस धारा में यथा उपबन्धित तलाशी ले सकता है और माल और वस्तुओं को अभिगृहीत कर सकता है। न्यायालय ने कर लगाने वाले एक कानून में तलाशी और अभिग्रहण के प्रश्न पर विचार-करते हुए पृष्ठ 158 पर यह मत व्यक्त किया था : "अब इस पर विवाद नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है कि सप्तम अनुसूची की विभिन्न सूचियों की प्रविष्टियों को व्यापकतम सम्भव निर्वचन दिया जाना चाहिए। इस बारे में भी संदेह नहीं है कि अनुसूची की किसी प्रविष्टि के अधीन कोई विधि बनाते समय विधानमण्डल ऐसे सब आनुषंगिक और अनुषंगी उपबन्ध बनाने के लिए सक्षम है

---

[1] (1968) 1 एस० सी० आर० 148.

जो विधि को अमल में लाने के लिए आवश्यक हों; विशेष रूप से इस बारे में विवाद नहीं किया जा सकता कि कर लगाने वाले कानून में विधानमण्डल ऐसे उपबन्ध अधिनियमित कर सकता है जिनसे कर अपवंचन में रोक लगेगी। अपवंचन को रोकने की इसी शक्ति के अधीन कर लगाने वाले अनेक कानूनों में तलाशी और अभिग्रहण के लिए उपबन्ध किए जाते हैं। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विधानमण्डल को अपवंचन रोकने के लिए कराधान विधियों के सम्बन्ध में तलाशी और अभिग्रहण के लिए उपबन्ध करने की शक्ति प्राप्त है।" तलाशी और अभिग्रहण के उपाय को चुनौती देना अब बड़ी देर से आना है, जब कि यह बड़े पैमाने पर कर अपवंचन को रोकने की दृष्टि से आयकर प्राधिकारियों को सौंपा गया है।

10. यह उपाय वस्तुतः आपत्तिजनक होगा यदि इसके क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके असम्यक् और अनुचित प्रयोग के विरुद्ध रक्षोपाय न हों। व्यापक प्रस्थापना के रूप में अब यह कथित करना संभव है कि यदि रक्षोपाय सामान्यतया दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा अंगीकृत रूपरेखा के आधार पर हैं तो वे उपयुक्त समझे जाएंगे और उस उपाय द्वारा अधिरोपित अस्थायी निबन्धनों को युक्तियुक्त बनाएंगे। अभी जो मामला प्रोधृत किया गया है इसमें धारा 41 की उपधारा (2) का एक परन्तुक था जिसमें यह विहित किया गया था कि उपधारा के अधीन सभी तलाशियां, यावत्शक्य, दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी। यह उल्लेख करने के बाद कि उपधारा (2) के अधीन की गई तलाशियों के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 165 में उपबन्धित रक्षोपाय भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। वे रक्षोपाय ये हैं :— (i) सशक्त अधिकारी के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार होने चाहिए कि उसकी अधिकारिता के भीतर वाले किसी स्थान में कर की वसूली के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई चीज पाई जा सकती है, (ii) उसकी यह राय होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ अन्यथा असम्यक् विलम्ब किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, (iii) उसे अपने विश्वास के आधार लेखबद्ध करने चाहिए, और (iv) जहां तक संभव हो उसे अपने लेखन में उस चीज़ का नाम विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिसके लिए तलाशी की जानी है। इन सब बातों के करने के बाद वह तलाशी कर सकता है। जो रक्षोपाय हमारी राय में उपधारा (2) के अधीन तलाशियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं उनसे स्पष्टतः यह दर्शित होता है कि उपधारा (2) के अधीन तलाशी करने की शक्ति मनमानी है। इन रक्षोपायों और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 में उपबन्धित अन्य रक्षोपायों की दृष्टि से, जो कि उपधारा (2) के अधीन की गई तलाशियों के सम्बन्ध में यावत्शक्य लागू होते है, हम यह

अभिनिर्धारित करने के लिए कोई कारण नहीं देखते हैं कि उपधारा (2) में उपबन्धित तलाशी द्वारा, सम्पत्ति धारण करने और व्यापार चलाने के अधिकार पर यदि कोई निर्बन्धन, हैं, तो वे तलाशी के उद्देश्य अर्थात् कर अपवंचन को रोकने को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं है।

11. अतः हमें देखना यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 132 में समाविष्ट रक्षोपाय क्या हैं ? प्रथमतः, इस बात पर ध्यान दिया जाए कि तलाशी और अभिग्रहण का आदेश देने की शक्ति विभाग के उच्चतम अधिकारियों में निहित है। दूसरे, इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है कि जब ऐसे व्यक्ति को यह युक्तियुक्त विश्वास हो जाए कि धारा 132 (1)(क) और (ग) में वर्णित तीन शर्तों में से कोई विद्यमान है। इस सम्बन्ध में आगे यह उल्लेख किया जा सकता है कि नियम 112 की उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, निरीक्षण निदेशक या आयुक्त को उपधारा (1) में वर्णित अधिकारियों को प्राधिकरण देने से पूर्व अपने कारण अभिलिखित करने होंगे। तीसरे, तलाशी का प्राधिकरण आयकर अधिकारी से नीचे के किसी अधिकारी के पक्ष में नहीं दिया जा सकता। चौथे, प्राधिकरण उपधारा (1) में (i) से (iv) में प्रगणित विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो जो कि सब कठोरतापूर्वक तलाशी के उद्देश्य तक सीमित हैं। पांचवे, जब धन, सोना-चांदी आदि अभिगृहीत की जाए, तो आयकर अधिकारी को यह अवधारित करने की दृष्टि से संक्षिप्त जांच करनी होगी कि जो कुछ अभिगृहीत किया गया है उसमें से कितना अंश प्राक्कलित कर दायित्व को निपटाने के लिए उसके द्वारा प्रतिधारित (रिटेन) किया जाएगा और कितना तुरन्त लौटाना होगा। उपधारा (5) के अधीन जांच का उद्देश्य जहां तक हो सके निर्धारिती की असुविधा को कम करना है, ताकि युक्तियुक्त समय के भीतर जितना निर्धारिती से सरकार को देय कर प्राक्कलित किया गया है उतना प्रतिधारित किया जाए और जितना निर्धारिती को वापस करना है उतना उसे तुरन्त वापस किया जाए। अभिगृहीत लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों के बारे में भी उनकी वापसी युक्तियुक्त समय के भीतर प्रत्याभूत की गई है। इसी बीच वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में से वे अभिगृहीत की गई हैं, प्रतिलिपियां बनाने और अंश लेने के लिए अनुज्ञात है। छठे, जहां धन, सोना-चांदी आदि अभिगृहीत की गई हो वहां वह भी सम्बन्धित व्यक्ति को, उसके द्वारा उपधारा (5) के अधीन प्राक्कलित कर शोध्यों के संदाय के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के बाद, तुरन्त वापस की जा सकती है और अन्तिमतः और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, धारा 132 के

अधीन सभी तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होते हैं। नियम 112 प्रसामान्य शिष्टाचार का पालन करने के पश्चात् वास्तविक तलाशी और अभिग्रहण किए जाने के लिए उपबन्ध करता है। तलाशी वाले स्थान के भारसाधक व्यक्ति को अभिगृहीत वस्तुओं की सूची की एक प्रतिलिपि तुरन्त दी जाएगी। एक प्रतिलिपि प्राधिकरण अधिकारी को भेजी जाती है। अभिग्रहण के पश्चात् वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उपबन्ध भी नियम 112 में किए गए हैं। हमारे विचार में रक्षोपाय तलाशी और अभिग्रहण के उपबन्धों को कम से कम दुर्भर और निर्बन्धनकारी बनाने के लिए पर्याप्त है जितना कि परिस्थितियों के अन्तर्गत संभव है। अतः धारा 132 और नियम 112 में तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित उपबन्ध को अनुच्छेद 19 (च) (छ) के अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता।

12. उपरोक्त दलील के समर्थन में एक छोटे मुद्दे पर जो दिया गया कि धारा 132 में वे उपबन्ध अन्तर्विष्ट हैं जिनसे निर्दोष व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ना संभाव्य है। उदाहरण के लिए, यह दलील दी गई कि एक निर्दोष व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा मात्र की रोकड़, सोना-चांदी, या अन्य मूल्यवान आदि हैं, यह जाने बिना कि यह छिपी हुई आय है, तलाशी और अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी छापे द्वारा परेशान होना संभावित है। इसके लिए कोई चारा नहीं है। चूंकि तलाशी का उद्देश्य छिपी हुई आय को ढूंढ़ना है, इस लिए जो भी व्यक्ति वास्तविक प्रकृति का पता लगाए बिना उसे अभिरक्षा में रखता है, अपने आपको तलाशी के लिए डालता है। धारा 132 की उपधारा (4) वह मार्ग दर्शित करती है जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति तलाशी के प्रभाव को अपने ऊपर सक्रिय बना सके। उसे बस इतना करना होता है कि वह तलाशी लेने वाले अधिकारी को वास्तविक तथ्यों को बताए कि मूल्यवानों की अभिरक्षा किस की ओर से धारित की है। तब आयकर अधिकारी को चाहिए कि वह उपधारा (5) के अधीन सम्बन्धित व्यक्ति से अभिनिश्चित करे।

13. अगला तर्क यह दिया गया कि तलाशी का निदेश देने की शक्ति निरीक्षण निदेशक जैसे प्राधिकारी को दी गई है, जो, यह निवेदन किया गया, वस्तुओं की प्रकृति के ही कारण, धारा 132 (1) (क) (ख) और (ग) की अपेक्षाओं के बारे में कोई युक्तियुक्त विश्वास बनाने में समर्थ होता है। दलील यह दी गई कि निर्धारिती का निर्धारण के विषय में निदेशक से कोई सम्पर्क नहीं होता है और इसीलिए वह युक्तियुक्त या अन्यथा विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता। यह मान लिया गया कि आयकर अधिकारी अथवा सीधे पंक्ति में उसके वरिष्ठ अधिकारी, जैसे, सहायक निरीक्षण निदेशक या आयुक्त, निर्धारिती

की आर्थिक परिस्थितियों, उन व्यतिक्रमों को, जो उसने किए हैं या करना संभाव्य है, आदि के बारे में अपने प्रत्यक्ष और सीधे ज्ञान के हेतु आवश्यक विश्वास ग्रहण करने की स्थिति में हो सकते हैं। किन्तु निरीक्षण निदेशक को ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं है, और इसीलिए वह कोई राय बनाने में पूरी तरह असमर्थ है। इसका केवल यह अभिप्राय होगा कि उसके द्वारा ग्रहण किया गया कोई विश्वास एक मनमाना विश्वास होगा और ऐसे अधिकारी में तलाशी का निदेश देने की शक्ति निहित करने वाला विधान अयुक्तियुक्त होगा। हमारे विचार में इस तर्क में कोई सार नहीं है। जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 116 में पहले ही देखा जा चुका है, निरीक्षण निदेशक आयकर विभाग का ऐसा अधिकारी है जो प्राधिकार में प्रत्यक्षकर बोर्ड से ही नीचे है। धारा 118 से यह दर्शित होता है कि सब सहायक निरीक्षण आयुक्त और आयकर अधिकारी, आयुक्त के अधीनस्थ होने के साथ-साथ निरीक्षण निदेशक के भी अधीनस्थ हैं। धारा 19 (2) के अधीन, अधिनियम के निष्पादन में नियोजित प्रत्येक आयकर अधिकारी ऐसे अनुदेशों का पालन और अनुसरण करने के लिए अपेक्षित है जो सम्बन्धित निरीक्षण निदेशक द्वारा उसके मार्गदर्शन के लिए उसे जारी किए जाएं। इसके अतिरिक्त धारा 120 के अधीन निरक्षण निदेशक अन्य किसी आयकर प्राधिकारी के जिसके अन्तर्गत, प्रत्यक्षतः आयकर अधिकारी और उसके वरिष्ठ की हैं, ऐसे कृत्य करने के लिए अपेक्षित है जो उसे बोर्ड द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं। धारा 135 के अधीन निरक्षण निदेशक अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के लिए सक्षम है और उस प्रयोजन के लिए उसमें वे सब शक्तियां निहित हैं जो आयकर अधिकारी को जांच करने के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन प्राप्त हैं। अतः अभिप्राय यह है कि अपने कर्त्तव्यों के अनुक्रम में निरीक्षण निदेशक को आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए अन्वेषण और निर्धारण का अनुसरण करने और अपने स्रोतों से प्राप्त जानकारी को विनिर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष पेश की गई या पेश न की गई वास्तविक सामग्री से जांच पड़ताल करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त है। अतः यह तर्क देना सही नहीं है कि निरीक्षण निदेशक से धारा 132(1) (क) (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए कोई युक्तियुक्त विश्वास, ईमानदारी से भी, ग्रहण करना प्रत्याशित नहीं था।

14. धारा 132 के अधीन युक्तियुक्त विश्वास ग्रहण करने से सम्बन्धित एक अनुषंगी प्रश्न भी श्री करखानिस द्वारा उठाया गया था। उसका निवेदन है कि यह कहना संभव है कि यथास्थिति निरीक्षण निदेशक या आयुक्त, विचारपूर्ण मामलों में, उपधारा (1) के उपखण्ड (क) और (ग) में निर्दिष्ट शर्तों के अस्तित्वशील होने का विश्वास करने के लिए कारण मान सकता है।

उदाहरण के लिए, जहां उपखण्ड(क) के अधीन आवश्यक अध्यपेक्षा की जाए वहां सम्बन्धित प्राधिकारी अभिलेख से यह अभिनिश्चित कर सकेगा कि क्या उस व्यक्ति ने जिसके लिए अध्यपेक्षा जारी की गई है, अपेक्षित दस्तावेजें पेश करने या पेश करवाने में लोप किया है या वह असफल रहा है। इसी प्रकार उपधारा (ग) के अधीन, यदि प्राधिकारी ने ऐसी कोई गुप्त जानकारी प्राप्त की है जो, उसकी राय में, विश्वसनीय थी, उसके लिए यह विश्वास करने का कारण होना संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण आदि हैं जो कि अप्रकट आय या सम्पत्ति हैं और ऐसी आय किसी स्थान पर छिपाई हुई है। किन्तु श्री करखानिस ने यह निवेदन किया कि जहां तक उपखण्ड(ख) का सम्बन्ध है यह कहना असंभव होगा कि प्राधिकारी युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास कर सकता है कि यदि अध्यपेक्षा की जाए तो सम्बन्धित व्यक्ति अपेक्षित दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा या पेश नहीं कराएगा। उसके निवेदन के अनुसार प्राधिकारी यह विश्वास तभी कर सकता है जब अध्यपेक्षा की गई हो और दिए गए समय के भीतर दस्तावेज पेश न किया गया हो। यह उपखण्ड (क) में उपबंधित है। किन्तु यह कहना कि अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण भी हो सकता है कि यदि अध्यपेक्षा की गई तो सम्बन्धित व्यक्ति भविष्य दस्तावेज पेश नहीं करेगा, श्री करखानिस के अनुसार एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे किन्हीं विचारपूर्ण तथ्यों के आधार पर निकालना असंभव है। हमें यह कहना होगा कि यदि श्री करखानिस वस्तुतः यह समझते हैं कि इस तर्क में कोई सार है तो वह उस रीति से, सौभाग्यवश, अनभिज्ञ हैं जिससे आयकर की चोरी की जाती है। उन सब परिस्थितियों को गिनाना असंभव है जिनमें उपखण्ड(ख) के अधीन आवश्यक युक्तियुक्त विश्वास किया जा सकता है। तथापि, एक उदाहरण के रूप में हम एक ऐसे मामले का उल्लेख कर सकते है जो पूर्णतः उपखण्ड(ख) के अधीन आता है। हो सकता है कोई निर्धारिती अपनी विवरणियां हर वर्ष नियमित रूप से फाइल कर रहा हो और उसके निर्धारण वर्षों के सम्यक् अनुक्रम में पूरे भी हो सकते हैं। उसकी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की प्रति-वर्ष सम्यक् रूप से जांच पड़ताल की गई हो और विनिर्धारण अधिकारी का भी पूर्णरुपेण समाधान हो गया हो कि विवरणियां सही हैं। किन्तु ऐसा हो सकता है कि ऊपर से ईमानदार इस निर्धारिती ने बहुत बड़ी निधियां सम्पत्तियों और अन्य वित्तीय संव्यवहारों में विनिहित की हों जिनकी विश्वसनीय जानकारी निरीक्षण निदेशक को मिल जाए। ऐसे मामले में निरीक्षण निदेशक को यह बताने के लिए किसी मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है कि यदि विनिधानों के इन वित्तीय संव्यवहारों के सम्बन्ध में निर्धारिती पर अपने दास्तावेज

पेश करने के लिए अध्यपेक्षा की गई तो निर्धारिती निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा या नहीं करायेगा। इसके विपरीत, यह खतरा है कि ये सब दस्तावेज नष्ट कर दिए जाएं क्योंकि इसी तथ्य से कि अध्यपेक्षा छिपे हुए संव्यवहारों का अन्वेषण करने की दृष्टि से की गई है, निर्धारिती सावधान हो जाएगा और सुसंगत दस्तावेज या तो गायब या नष्ट कर दिए जाएं। वस्तुतः, यह संभव है कि निर्धारिती यह जानने के बाद कि खेल समाप्त हुआ, अध्यपेक्षित दस्तावेज पेश कर दे। किन्तु इन बातों की प्रकृति में ऐसा निर्धारिती दुर्लभ होगा। हमारे लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या धारा 132(7) के अधीन प्राधिकारी यह युक्तियुक्त विश्वास कर सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में निर्धारिती दस्तावेजों को पेश नहीं करेगा। हमारे विचार में, यद्यपि बहुत ही दुर्लभ स्थिति में, कोई कर अपवंचक अध्यपेक्षा का अनुपालन कर सकता है कि निरीक्षण निदेशक, जिसे यह विश्वसनीय जानकारी हो कि निर्धारिती ने कतिपय वित्तीय संव्यवहारों से प्राप्त अपनी आय को निरंतर छिपाया है, यह युक्तियुक्त विश्वास करने में न्यायोचित हो सकता है कि निर्धारिती से यदि आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया हो तो वह उन्हें पेश नहीं करेगा। अतः इस दलील में कोई सार नहीं है कि उपखण्ड(ख) स्वयं आगे बढ़ गया है।

15. इस तर्क में भी कोई बल नहीं है कि धारा 132(5) का प्रभाव अधिहरणात्मक है। स्मरण रहे, इस उपबंध का उद्देश्य अभिग्रहीत आस्तियों में से उतना प्रतिधारित करने के पश्चात् जितना सरकार को कर के रूप में देय है और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से विधारित किया गया है, शेष की वापसी में शीघ्रता करना है। आस्तियों का अभिग्रहण ईमानदारी से इस विश्वास के साथ किया गया है कि आस्तियों से अप्रकट आय या सम्पत्ति प्रकट होती है। किन्तु आयकर अधिकारी मात्र इस विश्वास पर निर्भर नहीं कर सकता। उसे सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना देने के बाद एक संक्षिप्त जांच करनी चाहिए और पश्चात्कथित को यह दर्शित करने का अवसर मिलता है कि उसने आय सम्यक्तः प्रकट कर दी थी। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो अधिकारी इस आधार पर अग्रसर होने के लिए हकदार है कि यह अप्रकट आय है और सुसंगत सामग्री के आधार पर अवधारित कर का विस्तृत प्राक्कलन करेगा। ऐसे कर की जितनी रकम सरकार की है उतनी आयकर अधिकारी द्वारा प्रतिधारित की जाएगी और शेष रकम तुरन्त निर्मुक्त कर दी जाएगी। हमारी समझ में नहीं आता कि इसे अधिहरण कैसे कहा जा सकता है। वस्तुतः उपधारा (5) के दूसरे परन्तुक से यह दर्शित होता है कि निर्धारिती सभी अभिगृहीत आस्तियों की निर्मुक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वह प्राक्कलित देयों के

संदाय का समाधानप्रद इन्तजाम कर सके। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपधारा (5) के अधीन जांच नियमित निर्धारण या पुर्ननिधारण के लिए कोई प्रतिस्थापन नहीं है। अधिकारिता रखने वाला आयकर अधिकारी सम्यक् अनुक्रम में निर्धारण की कार्यवाही करेगा और संदेय कर की सही रकम का अवधारण करेगा। इसी बीच प्रतिधारित आस्तियां उन कर-देयों को पूरा करने के लिए परिबद्ध किए जाने के रूप में ही होती हैं जो किसी कारणवश संदेह पाए जाएं। यदि धारा 132 (5) के अधीन वाली जांच के कारण, जो कि स्वीकृत रूप से एक संक्षिप्त जांच होती है, देयों से अधिक रकम प्रतिधारित कर ली जाती है तो वह धारा 112-क के अधीन 9 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित वापिस करनी होगी।

16. अतः हम यह अभिनिर्धारित नहीं करना चाहते हैं कि धारा 312, 132-क या नियम 112-एस के उपबन्धों में से किसी के द्वारा लगाए गए निर्बन्धन अनुच्छुद 19(1)(च)और(छ) के अधीन वाले स्वातन्त्र्यों पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन हैं। इससे आगे यह तर्क दिया गया कि धारा 132 (1) और (5), अनुच्छेद 14 के अधीन वाले मूल अधिकार का इस आधार पर अतिक्रमणकारी है कि (1) वे कर अपवंचकों के बीच अन्यायसंगत विभेद करते हैं क्योंकि वे, उनको, जिनके कब्जे में अप्रकट आय या सम्पत्ति होने का विश्वास किया जाता है, उन कर अपवंचकों से प्रभेदित करते हैं जिनके कब्जे में होने का विश्वास नहीं किया जाता है और (2) यद्यपि सभी अपवंचकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 147 के अधीन कार्यवाही की जा सकती है, तो भी उनमें से कुछ ही धारा 132 (5) के अधीन वाली प्रक्रिया के अधीन होने के लिए दायित्वधीन हैं, जिनके कब्जे में अप्रकट आय या सम्पत्ति पाई जाएं। हमें इस तर्क में कोई सार दिखाई नहीं पड़ता। धारा 132 के अधीन सभी कर अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। कुछ ही मामलों में तलाशी उपयोगी हो सकती है, दूसरों में नहीं। यदि निरीक्षण निदेशक को अप्रकट आय और उसकी अवस्थिति के बारे में समय के अन्दर जानकारी प्राप्त हो जाती है तो वह तलाशी और अभिग्रहण का निदेश दे सकता है। अन्यथा तलाशी और अभिग्रहण का निर्देश देना व्यर्थ होगा क्योंकि समस्त प्रयत्न निष्फल होगा। अभिग्रहण के लिए उपबन्ध उस आय को निकालने के उद्देश्य से प्रकल्पित किया गया है जिसे निर्धारिती ने अवैध रूप से छिपाया है। वह तभी आवश्यक प्राधिकरण देने की स्थिति में होगा जब उसका ईमानदारी से यह समाधान हो गया हो कि यदि तलाशी का निदेश दिया जाए तो किसी व्यक्ति की कुछ अप्रकट आय का हाथ लगना सम्भाव्य है। तथापि वह उस कर अपवंचक के बारे में तलाशी का निदेश नहीं दे सकता जो अपनी समस्त आय को खर्च

करने के लिए काफी चतुर है या अन्यथा उसका पता लगाना असम्भव बना देगा। अधिनियम की धारा 147 से प्रयोजनों के लिए सभी कर अपवंचक कर निर्धारण की उसी प्रक्रिया के अधीन होते हैं जिनके अन्तर्गत वे भी होते हैं जिनके विरुद्ध धारा 132 के अधीन कार्यवाही की गई है। जिन निर्धारितियों की आस्तियां उनके कर दायित्वों की वसूली के लिए अभिगृहित की जा सकती हैं, वे, इस रूप में, एक भिन्न वर्ग में नहीं आते हैं बल्कि दूसरे उन लोगों से एक भिन्न स्थिति में होते हैं जिनके विरुद्ध तलाशी और अभिग्रहण प्रक्रिया यद्यपि उपलभ्य है, फिर भी निरर्थक होगी। नगदी, आभूषण और वैसी ही अन्य वस्तुओं के रूप में अप्रकट आय के मिलने से उपधारा (5) के उपबन्ध अनिवार्य हो जाते हैं। कर प्राधिकारी इस बात को देखे बिना कि जो कुछ अभिग्रहीत किया गया है उसमें से कितना कर के रूप में सरकार को जाएगा, मूल्यवान वस्तुओं को अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए निर्धारिती का ध्यान रखते हुए उपधारा (5) विमर्शित रूप से पुर:स्थापित की गई थी। वस्तुओं के स्वरूप की दृष्टि से उन कर अपवंचकों की दशा में ऐसी कोई जांच असम्भव होगी जिनकी तलाशी लेने पर अभिग्रहीत नहीं किया जाता है या किया जा सकता है।

17. नियमित कर-निर्धारण के विषय में उपधारा (5) कोई भिन्न प्रक्रिया अनुध्यात नहीं करती है। देखिए—धारा 132-क जो यह दर्शित करती है कि जिनके कब्जे में से तलाशी लेने पर अप्रकट आय पाई जाए वे नियमित कर निर्धारण या पुनिर्धारण किए जाने के दायित्वाधीन हैं। उपधारा (5) यह अवधारित करने की दृष्टि से कि अभिग्रहीत धन में से कितना पहले उपगत कर दायित्व को पूरा करने के लिए विधिसम्मत और युक्तियुक्त रूप से प्रतिधारित किया जा सकता है, एक अनन्तिम संक्षिप्त जांच को ही अनुध्यात करती है। तत्पश्चात् नियमित कर-निर्धारण उसी रीति से होता है जैसे उन कर अपवंचकों की दशा में होता है जिनके कब्जे में छिपाई गई आय नहीं पाई जाती है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि अभिग्रहण के कारण सरकार नियमित कर-निर्धारण समाप्त होने से पूर्व अपने कर देयों को प्राप्त करने की स्थिति में हो जाती है। किन्तु यह ऐसे निर्धारितियों के नियमित कर-निर्धारण के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया पुर:स्थापित नहीं करती है जो कि सभी कर अपवंचकों के लिए एक-सी है। पहले वर्ग के मामलों में राजस्व प्राधिकारी वसूलियों को निश्चित बनाते हैं, दूसरे में वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं—इसलिए नहीं की धारा 132 के उपबन्ध उन्हें लागू नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए कि उस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण द्वारा की गई कार्यवाही निरर्थक होगी। अत: इस दलील में कोई सार नहीं है कि कर-निर्धारण के लिए दो भिन्न प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं और इस प्रकार

अनुच्छेद 14 के अधीन विभेद है। निर्धारिती की ओर से अभिवाक् का प्रभाव इस कोटि में आता है, "यह सच है कि हम कर अपवंचक हैं। किन्तु यदि अन्य अपवंचक अपनी छिपी हुई आय को गायब करके कर संग्रहण में सफलतापूर्वक चकमा देते हैं तो हमें भी वही सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए ?"

18. अनुच्छेद 14 और 19 (1), (च), (छ) के अधीन चुनौती के समर्थन में पिटीशन ज्ञापन में कुछ अपेक्षाकृत कम महत्व के प्रश्न वर्णित किए गए थे। तथापि, सुनवाई के दौरान उन पर जोर नहीं दिया गया, जैसा कि अन्य आधारों के बारे में जोर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित करना असम्भव था कि आक्षेपित उपबन्ध अनुच्छेद 14, 19 या 31 का अतिक्रमण नहीं करते हैं। किन्तु, इस सन्दर्भ में हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि ये प्रश्न **सी० वेंकट रेड्डी और एक अन्य बनाम आयकर अधिकारी (केन्द्रीय) I, बंगलौर और अन्य**[1] में और **रामजी भाई कालीदास** बनाम **आई० जी० देसाई, आयकर अधिकारी और अन्य**[2] में उठाए गए थे जिनमें इन पर पूर्णतः उपयुक्त रूप से विचार किया गया था और उन्हें नामंजूर कर दिया गया था।

19. सांविधानिक चुनौती के अलावा एक और चुनौती इस आधार पर दी गई कि चूंकि इन सब मामलों में वास्तविक तलाशी और अभिग्रहण धारा 132 और नियम 112 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं, इसलिए अवैध हैं। असद्भाव, उद्दण्डता, प्रपीड़क व्यवहार और वैसे ही बातों की अनेक शिकायतें की गई हैं और हर मामले के तथ्यों के आधार पर हमें विचार करना होगा। किन्तु जहां तक दो सिविल अपीलों का सम्बन्ध है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अभिकथित अवैधताओं के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है। उच्च न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। उच्च न्यायालय में उन पिटीशनों में दावाकृत अनुतोष, उन लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों की वापसी के लिए था जो अभिगृहीत कर ली गई थीं और अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उन मामलों का निपटारा करने से पूर्व लेखा-पुस्तकें और दस्तावेजें पहले ही वापिस की जा चुकी थीं। तथापि, पिटिशनों में दावाकृत एक अन्य अनुतोष था और वह प्रतिषेध के रिट के लिए था जिसके द्वारा आयकर विभाग को अभिग्रहीत वस्तुओं की तलाशी से प्राप्त की गई किसी जानकारी को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने से अवरुद्ध कर दिया जाए। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय उन मामलों के प्रयोजनों के लिए यह मानने को तैयार था कि तलाशी और अभिग्रहण अवैध था। इस पर भी प्रश्न यह रहा कि क्या अवैध तलाशी के

[1] (1967) 66 आई० टी० आर० 212.

[2] (1971) 80 आई० टी० आर० 721.

शिकार ये व्यक्ति इस प्रतिषेध के रिट के हकदार थे कि आयकर प्राधिकारी अभिगृहीत किए गए दस्तावेज़ों में से प्राप्त किसी जानकारी का उपयोग नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वे हकदार नहीं थे और दो मामलों में निम्नलिखित एक-सा आदेश पारित किया। यह निम्न प्रकार है—

"इस मामले में तलाशी वारंट के अनुसरण में अभिग्रहीत सभी दस्तावेज़ पिटीशनरों को लौटा दिए गए हैं और प्रश्न केवल यह है कि क्या ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई जानकारी का साक्ष्य में उपयोग किया जा सकता है यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि तलाशी और अभिग्रहण अवैध था। आज सुनाए गए **बलवन्त सिंह और अन्य** बनाम **निरीक्षण निदेशक** (1966 की सिविल रिट सं० 750 डी) वाले मामले में हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि तलाशी और अभिग्रहण की विधिमान्यता के बारे में निर्णय दिया जाए। अतः यह पिटीशन असफल रहता है और खर्चे के बारे में कोई आदेश किए बिना खारिज किया जाता है।"

20. ऊपर निर्दिष्ट बलवन्त सिंह वाला मामला (71 इन्कम टैक्स रिपोर्ट्स 550) में प्रतिवेदित हुआ है। हम समझते हैं कि इस न्यायालय में अपील फाइल की गई थी किन्तु अभियोजित नहीं की गई। उस विनिश्चय में आयकर अधिनियम की धारा 132 की सांविधानिकता को बहाल ही नहीं रखा गया बल्कि यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 में ऐसी कोई बात नहीं है जो अवैध तलाशी के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए साक्ष्य के उपयोग को वर्जित करती हो। इस मत के अनुरूप प्रतिषेध के रिट का अनुतोष देने से इंकार कर दिया गया और इसलिए हमारे समक्ष दो सिविल अपीलें फाइल की गई हैं।

21. डा० सिंघवी जो दो अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से हाजिर हुए हैं, ने मुक्तभाव से यह माना है कि संविधान का कोई विनिर्दिष्ट अनुच्छेद नहीं है जो अवैध तलाशी और अभिग्रहण में अभिप्राप्त साक्ष्य के ग्रहण करने का प्रतिषेध करता हो। किन्तु उसने निवेदन किया कि ऐसे साक्ष्य को ग्रहण करना संविधान की भावना के प्रतिकूल होगा जिसने हमारी स्वाधीनताओं को अनतिक्रमणीय बनाया है। इस सम्बन्ध में उसने कुछ अमरीकी मामलों को निर्दिष्ट किया जो उसके निवेदन के औचित्य को मानने वाले दिखाई पड़ते हैं।

22. "हमारे संविधान की भावना" पर आधारित तर्क के बारे में हम **ए० के० गोपालन** बनाम **मद्रास राज्य**[1] वाले मामले में मु० न्या० कनिया के निर्णय

[1] (1950) एस० सी० आर० 88, 120.

से उद्धृत करने से अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। "इस कथन के लिए पर्याप्त प्रामाणिकता है कि न्यायालय यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि अधिनियम शून्य है क्योंकि उनके विचार में यह उस भावना के प्रतिकूल है जो संविधान में परिव्याप्त मानी जाती है किन्तु शब्दों में अभिव्यक्त नहीं की गई हैं। जहां मूल विधि ने, शब्दों में अथवा आवश्यक विवक्षा द्वारा विधानमण्डल पर प्रदत्त साधारण शक्तियों को सीमित नहीं किया है वहां हम संविधान की भावना में ऐसी कोई चीज़ खोजी जाने की कल्पना के अधीन कोई प्रतिबन्ध घोषित नहीं कर सकते जो कि लिखित में वर्णित ही न हो। सिवाय जहां तक किसी लिखित संविधान के अभिव्यक्त शब्द उसे प्राधिकार देते हैं, न्यायिक अन्तःक्षेप द्वारा किन्हीं साधारण सिद्धांतों के आधार पर प्रभुत्वसम्पन्न विधायी शक्ति की सर्वशक्तिमान भावना को सीमित करना कठिन है।" अब, साक्ष्य अधिनियम, 1871 जो कि साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित और संशोधित करने वाली विधि है, जिसके किसी उपबन्ध को संविधान के अतिक्रमणकारी के रूप में चुनौती नहीं दी गई है, सुसंगतता को ही साक्ष्य की ग्राह्यता की एक मात्र कसौटी के रूप में अनुज्ञात करता है, (देखिए अधिनियम की धारा 5) और दूसरे वह अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त अन्य कोई विधि सुसंगत साक्ष्य को इस आधार पर अपवर्जित नहीं करती है कि यह अवैध तलाशी या अभिग्रहण के अधीन अभिप्राप्त किया गया था, ऐसे साक्ष्य को अपवर्जित करने के लिए हमारे संविधान की कल्पित भावना को आश्रय लेना गलत होगा। और न ही हम संविधान की भाषा को खींच सकते हैं क्योंकि अमरीकी उच्चतम् न्यायालय के कुछ अमरीकी न्यायाधीशों ने अमरीकी संविधान के उपबन्धों में से कुछ सांविधानिक संरक्षणों को अलग कर दिया है। पहले ही निर्दिष्ट **एम० पी० शर्मा** बनाम **सतीश चन्द्र**[1] वाले मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण को अनुच्छेद 20 (3) के अधीन मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अवैध होने के रूप में चुनौती दी गई थी, तर्क यह दिया गया कि वह साक्ष्य अवैध रूप से बाध्य साक्ष्य से अधिक अच्छा नहीं था। इस दलील के समर्थन में अमरीकी संविधान के चौथे और पांचवे संशोधन तथा कुछ अमरीकी मामलों के प्रति निर्देश किया गया था जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया प्रतीत होता है कि अवैध तलाशी और अभिग्रहण द्वारा अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य को अभिप्राप्त करने से पांचवे संशोधन का अतिक्रमण होता है। पांचवा संशोधन युक्तियुक्त तलाशी और अभिग्रहण पर कोई अवरोध नहीं लगाता है इसमें उपबन्धित है कि अयुक्तियुक्त तलाशियों और अभिग्रहणों के विरुद्ध अपने शरीर, कागजों और चीज-बस्तों की सुरक्षा के लोगों के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

[1] (9154) एस० सी० आर० 1077.

इस प्रकार, किसी नागरिक के घर की एकांतता संविधान के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से सुरक्षित की गई है, यद्यपि युक्तियुक्त तलाशियों और अभिग्रहणों का निषेध नहीं है। इस निवेदन को नामंजूर करते हुए इस न्यायालय ने पृष्ठ 1096 पर यह मत व्यक्त किया था : "विधिशास्त्र की किसी भी प्रणाली में तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति सामाजिक सुरक्षा के संरक्षण के लिए राज्य की एक अध्यारोही शक्ति है और उस शक्ति को आवश्यक रूप से विधि द्वारा विनियमित किया जाता है। जब संविधान-निर्माताओं ने ऐसे विनियमन को एकांतता के मूल अधिकार को मान्यता देकर संविधान की सीमाओं के अधीन रखना ठीक नहीं समझा, जो कि अमरीकी चौथे संशोधन के सदृश है, तो हमारे पास खींचतानकर किए गए अर्थान्वयन की किसी प्रक्रिया द्वारा एक पूर्णतः भिन्न मूल अधिकार में उसे ग्रहण करने का कोई औचित्य नहीं है और न ही यह मानना विधिसम्मत है कि अनुच्छेद 20(3) के अधीन सांविधानिक संरक्षण तलाशी के कानूनी उपबन्धों द्वारा विफल हो जाएगा।" अतः अभिप्राय यह है कि न तो हमारे संविधान की भावना का आश्रय लेकर और न ही किसी मूल अधिकार का खींचतान कर अर्थान्वयन करके हम किसी अवैध तलाशी में प्राप्त साक्ष्य के अपवर्जन को त्याग सकते हैं।

23. जहां तक भारत का सम्बन्ध है दूसरी साक्ष्य विधि साक्ष्य के उस नियम पर तैयार की गई है जो अंग्रेजी विधि में प्रचलित है, और भारत तथा इंगलैण्ड के न्यायालयों के बराबर इस आधार पर सुसंगत साक्ष्य के अपवर्जन से इंकार कर दिया है कि वह अवैध तलाशी और अभिग्रहण द्वारा अभिप्राप्त किया गया है। **बरिन्द्र कुमार घोष और अन्य** बनाम **एम्प्रर**[1] में विद्वान् मुख्य न्यायाधिपति सर लारेंस जेंकिन्स ने पृष्ठ 500 पर यह कहा है : "श्री दास ने तलाशियों पर आक्षेप किया है और इस बात पर बल दिया है कि, भले ही तलाशी वारन्ट निकालने का निदेश देने की अधिकारिता हो, फिर भी, जैसा कि मैं मानता हूं, दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों की पूर्णरुपेण अवहेलना की गई है। इस उपधारणा के आधार पर उसने दलील दी है कि तलाशियों द्वारा खोजा गया साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, किन्तु मैं इस मत को नहीं मान सकता। क्योंकि, किसी भी प्रकार संहिता द्वारा विहित उपबन्धों की अवहेलना को बढ़ावा दिए बिना, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि जो कुछ अन्यथा सुसंगत होगा वह केवल इसीलिए असंगत नहीं हो जाएगा कि वह ऐसी तलाशी के दौरान खोजा गया था जिनमें उन उपबन्धों की उपेक्षा की गई थी। जैसा कि जिमूतवाहन ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से यह मत दिया है :—"किसी तथ्य को 100 शास्त्रपाठों से भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता" और जैसा कि उसके टीकाकार ने अतिसूक्ष्म

---

1 आई० एल० आर० (1910) 37 कलकत्ता 467.

टिप्पणी की है कि "यदि ब्राह्मण की हत्या की गई हो तो 'ब्राह्मण की हत्या मत करो' से हत्या का तथ्य अकृत नहीं हो जाता है।" किन्तु विधानमण्डल द्वारा प्रकल्पित पूर्वाविधानता के अभाव से इस तर्क को समर्थन मिलता है कि अभिकथित खोज की सावधानी से संवीक्षा की जानी चाहिए। **एम्प्रर** बनाम **अल्लादाद खां**[1] वाले मामले में पुलिस अधीक्षक और एक उप निरीक्षक ने उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं का अवैध कब्जा रखने की आशंका वाले एक व्यक्ति के मकान की तलाशी ली और तलाशी लिए गए मकान में से ऐसी वस्तुएं बरामद हुई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि युनाइटेड प्रोविन्सेज एक्साइज़ ऐक्ट, 1910 की धारा 63 के अधीन मकान-मालिक की दोषसिद्धि इस तथ्य से अविधिमान्य नहीं हो गई कि तलाशी के लिए कोई वारन्ट जारी नहीं किया गया था, यद्यपि संभवतया विधानमण्डल का यह आशय था कि धारा 63 के अधीन वाले मामले में जहां किसी मकान की तलाशी लेना आवश्यक हो वहां पहले तलाशी का वारन्ट अभिप्राप्त कर लेना चाहिए। **कुरुमा** बनाम **दि क्वीन**[2] वाले मामले में जहां प्रिवी कौंसिल को अंग्रेजी साक्ष्य विधि के पूर्वी अफ्रीका के सम्बन्ध में लागू होने के बारे में विचार करना पड़ा था, माननीय न्यायाधीशों ने नियम का इस प्रकार सूक्ष्मसंकेत किया था कि : "यह विचार करने के लिए कि क्या साक्ष्य ग्राह्य है, सिविल और दाण्डिक दो मामलों को लागू की जाने वाली कसौटी यह होगी कि क्या वह विवाद्य विषय से सुसंगत है। यदि है तो वह ग्राह्य है और न्यायालय का इससे कोई सरोकार नहीं है कि वह कैसे अभिप्राप्त किया गया था।" प्रिवी कौंसिल के समक्ष कुछ अमरीकी मामलों को भी प्रोधृत किया गया। माननीय न्यायाधीशों ने पृष्ठ 204 पर इस प्रकार मत व्यक्त किया था : "बहस में संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के कुछ विनिश्चय भी प्रोधृत किए गए। माननीय न्यायाधीशों ने उनकी विस्तारपूर्वक परीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा। यह कहना पर्याप्त होगा कि स्टेट और फेडरल न्यायालयों दोनों में न्यायाधीशों के बीच इस बारे में काफी विचार-वैभिन्न प्रतीत होता है कि क्या अवैध साधनों द्वारा अभिप्राप्त साक्ष्य की अस्वीकृति अमरीकी संविधान के कुछ अनुच्छेदों पर निर्भर करती है या नहीं। चाहे कुछ भी स्थिति हो, **ओम्सटेड** बनाम **युनाइटेड स्टेट्स**[3] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के बहु संख्यक का यह स्पष्ट मत था कि सामान्य विधि इस आधार पर सुसंगत साक्ष्य को नामंजूर नहीं करती है।"

---

1 आई० एल० आर० (1913) 35 इलाहाबाद 358.

2 (1955) ए० सी० 197.

3 (1888) 277 यू० एस० 438=(1927) 72 लॉइयर्स एडिशन 438.

कुरुमा वाले मामले[1] में दो पुलिस आफिसरों ने कुरुमा की तलाशी ली जो कि तलाशी लेने के लिए विधि के अधीन प्राधिकृत नहीं थे और तलाशी में कुरुमा के विधिविरुद्ध कब्ज़े में कुछ बारुद पाया गया। प्रश्न यह था कि क्या कुरुमा के व्यक्ति पर बारुद पाने के बारे में साक्ष्य को इस आधार पर रोक दिया जा सकता है कि वह साक्ष्य विधिविरुद्ध तलाशी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह इसलिए नहीं निकाला जा सकता कि बारुद का पाना विधिविरुद्ध कब्जे के आरोप पर एक सुसंगत साक्ष्य था। एक बाद वाले मामले **हरमन किंग बनाम दि क्वीन**[2] में जो कि जैमेकन के अपील न्यायालय के विरुद्ध अपील में विधि कौंसिल के समक्ष आया था, उस कुरुमा वाले मामले में अधिकथित की गई विधि को लागू किया गया यद्यपि जैमेकन संविधान में कैनेका (कान्स्टीट्यूशन) आर्डर-इन-काउन्सिल, 1962 अनुसूची II, धारा 19 के निम्नलिखित उपबन्ध में तलाशी और अभिग्रहण के विरुद्ध सांविधानिक अधिकार प्रत्याभूत किया गया था। "(1) अपनी स्वयं की सम्मति के सिवाय कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति या अपनी सम्पत्ति की तलाशी अथवा अपने परिसरों में दूसरों के द्वारा प्रवेश के अध्यधीन नहीं होगा। (2) किसी विधि के प्राधिकार में अन्तर्विष्ट या के अधीन की गई किसी बात को इस सीमा तक इस धारा के असंगत या उल्लंघन में अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा कि प्रश्नगत विधि ऐसा उपबन्ध करती है जो कि अपराध को रोकने या अपराधी का पता लगाने के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो.........."। दूसरे शब्दों में अपराध को रोकने या पता लगाने के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रवर्तित की गई तलाशी और अभिग्रहण, के विरुद्ध सांविधानिक गारन्टी से असंगत नहीं थी। उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी पुलिस आफिसर द्वारा अपीलार्थी की तलाशी वारन्ट द्वारा न्यायोचित नहीं थी और न ही वह आफिसर उसे जस्टिस आफ दि पीस के समक्ष ले जाए बिना अपीलार्थी के व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। इसके बावजूद यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को अवैध तलाशी के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त साक्ष्य को ग्रहण करने का विवेकाधिकार प्राप्त है और सम्मति के बिना व्यक्ति या सम्पत्ति की तलाशी के विरुद्ध सांविधानिक संरक्षण से न्यायालय का विवेकाधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। **कुरुमा बनाम दि क्वीन**[1] वाले मामले का अनुसरण करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित

---

[1] (1955) ए० सी० 197.

[2] (1969) ए० सी० 304.

किया कि न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य ग्रहण नहीं भी कर सकता है यदि उस न्यायालय का यह मत है कि वह साक्ष्य ऐसे आचरण द्वारा अभिप्राप्त किया गया था जिसका अभियोजन पक्ष को फायदा नहीं उठाना चाहिए। किन्तु वह साक्ष्य का नियम नहीं था बल्कि प्रज्ञा और ईमानदारी के खेल का नियम था। इस प्रकार यह दिखाई देता है कि इंगलैण्ड की भांति भारत में जहां साक्ष्य की ग्राह्यता की कसौटी सुसंगतता में निहित है वहां जब तक संविधान या अन्य विधि में अभिव्यक्त या आवश्यक रूप से विवक्षित प्रतिषेध न हो तब तक अवैध तलाशी या अभिग्रहण के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त साक्ष्य को निकाला नहीं जा सकता।

24. इस दृष्टिकोण से यदि यह भी मान लिया जाए, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया था, कि तलाशी और अभिग्रहण आयकर अधिनियम की धारा 132 के उपबन्धों के उल्लंघन में था तो भी अभिगृहीत वस्तुएं उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसकी अभिरक्षा में से वे अभिगृहीत की गई थीं, आयकर प्राधिकारी के समक्ष विधि के अधीन रहते हुए प्रयुक्त की जाने के दायित्वाधीन थीं और इसीलिए ऐसे उपयोग के अवरोध में कोई प्रतिषेध रिट अनुदत्त नहीं किया जा सकता। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय ने दो रिट पिटीशनों को खारिज करके ठीक ही किया था। अपीलें भी असफल होनी चाहिएं और खर्चे सहित खारिज की जाती हैं।

25. अब इस न्यायालय में फाइल किए गए दो रिट पिटीशन विचारार्थ रहते हैं और यहां विचारणीय यह है कि क्या अधिनियम की धारा 132 या नियम 112 के उपबंधों के अभिकथित उल्लंघन के कारण तलाशी और अभिग्रहण में कोई अवैधता हुई है।

1971 का संख्या 446 वाला रिट पिटीशन

26. पिटीशनर पूरन मल अनेक फर्मों में भागीदार है—उनमें से कुछ मुम्बई में और कुछ दिल्ली में कारबार कर रही हैं। उसका स्थायी निवास-स्थान 12ए कमला नगर दिल्ली में है। दिल्ली में उसके कारबार के परिसर ए-14/16 जमना भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली है। यह प्रतीत होता है कि निरीक्षण निदेशक द्वारा दिए गए प्राधिकरण के आधार पर दिल्ली में उसके निवास स्थान और कारबार परिसरों की 15 और 16 अक्तूबर, 1971 को तलाशी की गई। तारीख 15 अक्तूबर, 1971 को उसके मुम्बई परिसर की भी तलाशी ली गई और ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पिटीशनर मुम्बई में उपस्थित था। जब 15 और 16 को उसके निवास-स्थान की तलाशी ली गई तो उसके मकान में

पिटीशनर की पत्नी, दो या तीन प्रौढ़ पुत्र और उसके पिता, जिन्हें बीमार बताया गया है, उपस्थित थे। पिटीशनर की ओर से यह अभिकथन किया गया कि आवासीय परिसर में की गई तलाशी असद्भावपूर्वक, प्रपीड़क, ज्यादती विभेदकारी और तंगकारी थी। इन अभिकथनों को करने के लिए ये आधार प्रतीत होते हैं—(1) कि पत्नी द्वारा तलाशी को स्थगित करने की प्रार्थना के बावजूद मकान की तलाशी और अभिग्रहण हुआ ; (2) यह धनतेरस का दिन था जो कि एक त्यौहार है ; (2) पिटीशनर की पत्नी को यह सूचना नहीं दी गई कि कोई प्राधिकरण था ; (4) उसका श्वसुर लकवे का रोगी था ; (5) यहां तक कि बच्चों के छोटे-छोटे बक्से भी अभिग्रहीत कर लिए गए जिनमें उनके जेब-खर्च का पैसा था ; (6) पिटीशनर की सास कैलाश बाई जो 6 वर्ष पूर्व मर चुकी थी, के आभूषणों सहित आभूषण अभिग्रहीत किए गए; (7) जिन पंचों ने तलाशी में सहायता की थी वे पिटीशनर या उसके कुटुम्ब के सदस्यों से अपरिचित थे ; (8) तलाशी 15 अक्तूबर को प्रातः 8 बजे से लेकर 16 अक्तूबर की प्रातः तक चलती रही और 16 अक्तूबर, की सांय को भी फिर से तलाशी ली गई। जिन आधारों पर असद्भाव, प्रपीड़न आदि के उग्र अभिकथन किए गए हैं, वे सारवान प्रतीत नहीं होते हैं। निस्संदेह यह सही है कि तलाशी और अभिग्रहण एक उग्र प्रक्रिया है और इसके साथ-साथ कुछ न कुछ परेशानी और असुविधा अवश्य होती है। आकस्मिक तलाशी और अभिग्रहण से उस स्थान पर रहने वालों को जहां तलाशी की जाए, परेशानी हो सकती है। किन्तु यह प्रत्याशित किया जाता है कि जब प्रपीड़न और असद्भाव का अभिकथन किया जाए तो इन आधारों की अपेक्षा अधिक सारवान आधार होने चाहिएं। इसके विपरीत उद्दण्डता, असद्भाव आदि के अभिकथनों का विभाग की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में सम्पूर्णतः प्रत्याख्यान किया गया है। इस बात का प्रत्याख्यान किया गया है कि वह धनतेरस का दिन था, किन्तु यह मान लिया जाए कि वह धनतेरस का दिन था तो ऐसी कोई विधि नहीं है जो यह कहती हो कि उस दिन तलाशी और अभिग्रहण नहीं किया जा सकता। यह हो सकता है कि पत्नी ने यह प्रार्थना की हो कि उसके पति के लौटने तक तलाशी मुल्तवी की जाए किन्तु प्रत्यक्ष रूप से आफिसर इस प्रार्थना के लिए राजी नहीं हो सकते थे क्योंकि तलाशी का सारा प्रयोजन ही विफल हो जाता। यह प्रत्याख्यान किया गया है कि घर के सदस्यों को प्राधिकरण की जानकारी नहीं थी वस्तुतः यह अभिकथित किया गया है कि पिटीशनर की पत्नी शारदा देवी को प्राधिकार दिखा दिया गया था और उसके संकेत के रूप में उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। पिटीशनर का पिता लकवे का रोगी था, यह दुर्भाग्यपूर्ण

हो सकता है किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सम्बन्धित आफिसरों ने उसे किंचित भी असुविधा पहुंचाई हो। यह अभिकथित किया गया है कि समस्त तलाशी के दौरान शारदा देवी और उसके दो शिक्षित पुत्र तथा दिनेश और विनोद तलाशी के समय उपस्थित थे। यह प्रत्याख्यान नहीं किया गया है कि पर्याप्त आभूषण अभिग्रहीत किए गए थे। मकान में अभिग्रहीत आभूषण 37,043 रुपये के मूल्य के थे और यद्यपि पिटीशनर का पक्ष-कथन यह है कि उसमें से कुछ उसकी सास श्रीमती कैलाश बाई, जो कि अब मृतक है, के थे। विभाग की ओर से शपथ पर यह कथित किया गया है कि 15 और 16 अक्तूबर, 1971 को अभिलिखित कथनों में श्रीमती शारदा देवी ने सम्पूर्ण आभूषणों का अपने होने के रूप में दावा किया था, यद्यपि अन्तिम धन-कर विवरणी में उसने अपने आभूषण केवल 5,000 रुपये के मूल्य के बताए थे। जहां तक पंचों का सम्बन्ध है इस बात का प्रत्याख्यान किया गया है कि वे घर के सदस्यों से परिचित नहीं थे। वस्तुतः विभाग ने यह अभिकथन किया है कि पंच मथुरादास उसी मकान का निवासी था और उसे शारदा देवी के कहने पर बुलाया गया था। इस बात का प्रत्याख्यान नहीं किया गया है कि तलाशी लम्बे समय तक चलती रही क्योंकि तलाशी के दौरान अनेक दस्तावेज़ और लेखा-पुस्तकें अभिग्रहीत की गईं और इसी प्रकार आभूषण और नकदी भी। इस अभिकथन का प्रत्याख्यान किया गया है कि बच्चों के छोटे बक्से जिनमें उनके जेब-खर्च का पैसा था, अभिग्रहीत किया गया था। अत: उसमें पूर्णरुपेण ये हो सकते हैं कि पिटीशन में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसमें यह मत अपनाने के लिए प्रेरित करती हो कि मकान की तलाशी असद्भावपूर्ण, प्रपीडक या ज्यादती आदि में थी।

27. कारबार परिसरों में तलाशी उस समय की गई थी जब कि वहां प्राय: काम करने वाले अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। लेखा-पुस्तकों, दस्तावेज, कुछ आभूषण और लगभग 61,000/ रुपये की नकद रकम अभिगृहीत की गई थी।

28. तारीख 16 अक्तूबर को लक्ष्मी कर्मशियल बैंक और पंजाब नैशनल बैंक के शाखा कार्यालयों में तलाशी की गई। लक्ष्मी कर्मशियल बैंक में से 84 चान्दी की छड़ें अभिगृहीत की गईं और 30 चान्दी की छड़ें पंजाब नैशनल बैंक में से अभिगृहीत की गईं। इन चान्दी की छड़ों का मूल्य लगभग 18 लाख रुपये है। पिटीशनर का पक्षकथन यह है कि ये छड़ें मुम्बई के मैसर्स पूरन मल एण्ड संस की हैं जिसने वे मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस कंपनी को भेजी थीं जिनका पिटीशनर एक भागीदार है और यह अभिकथित किया गया कि इस फाइनेंस कम्पनी ने ये छड़े दो बैंकों के पास रखीं। 84 छड़ें मैसर्स उद्यम चन्द पूरन मल के खाते में

1973(12) eILR(PAT) SC 305

अभिकथित ओवर ड्राफ्ट मामला के लिए रखी गई, जब कि 30 चान्दी की छड़ें फाइनेंस कम्पनी के खाते में पंजाब नैशनल बैंक के पास गिरवी रखी गईं। पूर्वोक्त इन सब फर्मों में पिटीशनर भागीदार है और विभाग का पक्ष-कथन यह है कि ये सब छड़ें पिटीशनर की अप्रकट आस्तियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिकारी ने पिटीशनर को सूचना जारी करने के पश्चात् धारा 132(5) द्वारा यथा अपेक्षित संक्षिप्त जांच की थी और तारीख 12 जनवरी, 1972 के उसके आदेश से निस्संदेह प्रथमदृष्टया यह दर्शित होता है कि श्रीमती शारदा देवी द्वारा धन-कर विवरणी में घोषित आभूषणों के मूल्य को छोड़कर वे सभी आस्तियां जो मकान, कारबार परिसर तथा बैंक में से अभिग्रहीत की गई थीं। 1969 से लेकर आगे तक के कर देयों के प्रति विनियोजित की जाने के लिए लौटाई जानी थीं जिनका मूल्य लगभग 42,000 रुपये है। निस्संदेह, यह प्रथमदृष्टया दायित्व नियमित कर निर्धारण और पुनरीक्षण निर्धारण के अधीन था।

29. श्री करखानिस ने यह निवेदन किया कि पिटीशनर विभाग के साथ पहले बहुत सहयोग करता रहा है और इसलिए निरीक्षण निदेशक के पास यह विश्वास करने का कोई सम्भव कारण नहीं हो सकता था कि यदि दस्तावेज़ें और लेखा-पुस्तकों के लिए कोई अध्यपेक्षा की गई तो वे पेश नहीं की जाएंगी। सहयोग सम्बन्धी इस अभिकथन का विभाग ने प्रत्याख्यान किया है और इस सम्बन्ध में विभाग ने उपाबन्ध आर-1 पर एक चार्ट पेश किया है जो यह दर्शित करता है कि पिटीशनर किस प्रकार हमेशा असहयोगी रहा है 1967-68 का निर्धारण अब भी लम्बित है और सन् 1968-69 या पश्चातर वर्षों के लिए कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है। हमारा बिल्कुल भी समाधान नहीं हुआ है कि पिटीशनर सहयोगी था और इसलिए निरीक्षण निदेशक को धारा 132 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा यथा अपेक्षित कोई युक्तियुक्त विश्वास करने के लिए कोई सम्भव आधार नहीं था। हमने अपने समाधान के लिए निदेशक द्वारा प्राधिकरण से पूर्व अभिलिखित आधारों को मंगाया और हमारा पूर्णतः समाधान हो गया है कि उपखण्ड के अधीन यथा अपेक्षित युक्तियुक्त विश्वास करने के लिए उसके पास आधार थे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, संक्षिप्त जांच जो कि धारा 132 के खण्ड (5) के अधीन की गई थी, से यह प्रकट होता है कि अभिग्रहीत आस्तियां अधिकांशतः एक पृथक् आय और सम्पत्ति थीं। यह ठीक है कि यह संयोग कि तलाशी पर अप्रकट सम्पत्ति पाई गई, तलाशी के प्राधिकार के लिए एक औचित्य नहीं हो सकता है, यदि वस्तुतः युक्तियुक्त विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं था। किन्तु निदेशक द्वारा

1973(12) eILR(PAT) SC 305

प्राप्त की गई सूचना के आधार पर निरीक्षण निदेशक द्वारा प्रत्याशित रूप में आस्तियों के मिलने से कम से कम इस बात की पुष्टि होती है कि सम्बन्धित प्राधिकारी को विश्वासनीय जानकारी थी जिसके आधार पर वह अवश्य विश्वास कर सकता था।

30. अतः सम्पूर्णतः हम यह अभिनिर्धारित करना नहीं चाहते हैं कि इस रिट पिटीशन में तलाशी और अभिग्रहण किसी अवैधता से दूषित था।

1972 की संख्या 86 वाला रिट पिटीशन

31. इस रिट पिटीशन की स्थिति भी भिन्न नहीं है। पिटीशनर गनेरीवाला एक व्यवसायी है। उसका निवास स्थान 1, राजनारायण रोड, सिविल लाईन, दिल्ली है और वह गनेरीवाला ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से आटोमोबाइल पुर्जों का एक कुटुम्ब कारबार चलाता है। वह कारबार संख्या 1, कृष्णा मोटर मार्केट, कश्मीरी गेट, दिल्ली पर है। कुटुम्ब मैसर्स विश्वेश्वर लाल वृज नाथ, बरेली की फर्म में भागीदार प्रतीत होता है और उसकी हरियाणा राज्य में पैतृक कृषि भूमि से आय मानी जाती है। पिटीशनर ने यह अभिकथन किया है कि आय का उसका 1970-71 का निर्धारण पूरा हो गया था। 1970-71 की विवरणी फाइल भी कर दी गई थी। इतने पर भी यह अभिकथन किया गया कि 8 अक्तूबर, 1971 को उसके आवासीय मकान और उसके कारबार परिसर की तलाशी ली गई और दस्तावेजें तथा लेखा-पुस्तकें अभिग्रहीत की गई। तलाशी प्रातः 8 बजे आरम्भ हुई और सांय तक चलती रही और तत्पश्चात् कारबार परिसर की तलाशी हुई। पिटीशनर ने कथित किया कि यद्यपि छापामार दल ने बहुत विस्तृत तलाशी ली थी तो भी उन्हें कोई छिपी हुई आय, रोकड़ या सोना-चांदी आभूषण या हीरे-जवाहरात नहीं मिले। तलाशी के प्रपीड़क और अति होने के बारे में साधारण अभिकथन किया गया है। किन्तु उसमें कोई सार नहीं है। तलाशी के बारे में इस आधार पर आक्षेप किया गया कि प्राधिकारियों ने विमर्शित रूप से पंचों का चयन किया था जिनसे पिटीशनर का बैर-भाव था। इसका प्रत्याख्यान किया गया है। विभाग की ओर से फाइल किए गए शपथपत्र में यह कथित किया गया है कि पंच साक्षियों में से अर्थात् लेफ्टीनेंट-गवर्नर राज बिहारी लाल वास्तव में पिटीशनर के घर में तलाशी दल के परिसर में प्रवेश करने से पूर्व ही बैठा हुआ था। यह भी कथित किया गया है कि दोनों पंच उस क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति और पिटीशनर के एकदम पड़ोसी हैं—उनमें से एक सैना का जिम्मेदार अधिकारी है। पिटीशनर का कहना है कि उसने प्राधिकारियों से कहा था कि इन पंचों से उसका बैर-भाव है, किन्तु इस बात

का प्रत्याख्यान किया गया है। अतः यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि तलाशी के लिए माननीय पंचों को साथ नहीं लिया गया था। एक अन्य आक्षेप यह किया गया कि आयकर प्राधिकारियों ने सन् 1970-71 और 1971-72 से सम्बन्धित दो रोकड़ बहियों को ले लिया था किन्तु तालिका में उन्हें सम्यक् रूप से दर्ज नहीं किया गया। इस अभिकथन का भी प्रत्याख्यान किया गया है। प्रतिशपथ पत्र के पैरा 21 में सहायक निरीक्षण निदेशक ने यह कथित किया है कि पिटीशनर की परीक्षा और 8 अक्तूबर, को उसके कथन के अभिलेखन के दौरान पिटीशनर ने यह कहा था कि लेखा वर्ष 1970-71 और 1971-72 की उसकी रोकड़ बहियों में गोदाम के सन्निर्माण पर हुए खर्च के बारे में कोई प्रविष्टियां नहीं हैं और इस प्रकार वे रोकड़ बहियां पिटीशनर की अभिरक्षा में से अभिग्रहीत नहीं की गईं। दूसरा कारण यह था कि पिटीशनर ने यह प्रार्थना की थी कि उन्हें अभिग्रहीत नहीं किया जाए क्योंकि अन्यथा पिटीशनर को अपना कारबार चलाने में कठिनाई होगी। स्मरण रहे, तलाशी और अभिग्रहण का आदेश इस लिए दिया गया था, कि पिटीशनर ने अपने आवासीय परिसरों के समीप एक विशाल गोदाम हाल ही में बनाया था जिसके भूतल का क्षेत्र अनुमानतः 6,700 वर्ग फीट का था जिस पर उस आय में से एक बहुत बड़ा विनिधान प्राक्कलित किया गया जो कि पेश की गई पुस्तकों में या पिटीशनर द्वारा फाइल की गई विवरणियों में प्रकट नहीं की गई थीं। चूंकि स्वयं पिटीशनर ने प्राधिकारियों को यह बताया था कि दो वर्ष की रोकड़ बहियों में निर्माण पर किए गए खर्च के बारे में कोई प्रविष्टियां नहीं हैं इसलिए प्राधिकारियों ने सन् 1971-72 की रोकड़ बहियों का निरीक्षण किया और पाया कि पिछले 30 दिनों से उसमें कोई प्रविष्टि नहीं की गई हैं जिसे प्राधिकारियों ने कब्जे में लेना ठीक नहीं समझा। हम यह सोचने को बाध्य हैं कि पिटीशनर द्वारा यह आपत्ति एक बाद में सोची हुई आपत्ति है जो कि विभागीय प्राधिकारियों को बदनाम करने की दृष्टि से की गई है। इस बात का प्रत्याख्यान नहीं किया है कि पिटीशनर को उसी दिन उसकी अभिरक्षा में से अभिग्रहीत दस्तावेज़ों की तालिका की एक प्रतिलिपि दी गई थी। उसने 5 नवम्बर, 1971 यानि लगभग एक मास बाद तक लेखा पुस्तकों के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई। पिटीशनर एक व्यवसायी है। वह इस बात से अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि चालू वर्ष और पूर्व वर्ष की उसकी रोकड़ बहियां एक लम्बे समय से गायब हैं।

32. आगे यह अभिकथन किया गया कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज़ अभिग्रहीत किए गए जो कि वस्तुतः असंगत थे। प्राधिकृत अधिकारी को वे लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज अभिग्रहीत करने होते हैं जो कि आयकर

अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी और सुसंगत होते हैं। जब किसी तलाशी के अनुक्रम में बड़ी-बड़ी दस्तावेजें और लेखा-पुस्तकों की यह जांचने की दृष्टि से परीक्षा करनी होती हैं कि वे सुसंगत होंगे, तो प्राधिकारियों को कुछ-न-कुछ ढील देनी होगी। यह सच है कि जब विशेष दस्तावेजों को अभिग्रहीत करने के लिए कहा जाता है तो अन्य दस्तावेजों की अनावश्यक परीक्षा तलाशी को मान्य रूप से अत्यधिक बना देती है। किन्तु जब दस्तावेजों, कागजों, कापियों, लेखा पुस्तकों या छोटे ज्ञापनों आदि को यह देखने की दृष्टि से परीक्षा करनी होती है कि वे अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए कहां तक सुसंगत है तो निर्णय की गलतियां होना असम्भाव्य नहीं है। अधिक से अधिक यह एक अनियमिति हो सकती है, अवैधता नहीं और न ही यह कोई तलाशी का उचित आक्षेप हो सकता है कि तलाशी लगभग 16 घण्टे तक चलती रही। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तलाशी और अभिग्रहण के स्वरूप के कारण ही उनमें बहुत समय लगता है।

33. इस पिटीशन में भी यह अभिकथन किया गया कि निरीक्षण निदेशक को सम्भवतः धारा 132 की उपधारा (1) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा अपेक्षित परिस्थितियों की विद्यमानता का विश्वास करने का कोई कारण नहीं हो सकता था, क्योंकि 1970-71 का पिटीशनर का कर-निर्धारण पहले ही पूरा हो चुका था और इसी प्रकार 1969-70 का धन कर-निर्धारण भी पहले ही पूरा हो चुका था। किन्तु इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि निरीक्षण निदेशक के पास जो जानकारी थी वह उसके आधार पर कोई आवश्यक विश्वास नहीं कर सकता था। प्राधिकार से पूर्व निरीक्षण निदेशक द्वारा अभिलिखित विश्वास का आधार हमें दिखाया गया और हम यह नहीं समझते हैं कि इस सामग्री के आधार पर प्राधिकारी विश्वास नहीं कर सकते थे। पिटीशनर ने एक बहुत बड़ा नया गोदाम बनवाया था किन्तु सन्निर्माण के लिखे हुए खर्चे का लेखा पुस्तकों में कोई ब्यौरा नहीं था। विभाग की ओर से यह अभिकथन किया गया कि तलाशी लेने पर मान-चित्रों आदि की प्रकृति के कुछ दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए जिनसे यह दर्शित होता है कि पिटीशनर ने तलाशी की तारीख से पहले मास में भवन का सन्निर्माण किया था और जिस धन से उस भवन को बनवाया था, उसका कहीं भी हिसाब नहीं था। अतः यह दलील में कोई सार नहीं है कि आयकर प्राधिकारी सम्भवतः अपेक्षित विश्वास नहीं कर सकते थे। अतः इस रिट पिटशन में आक्षेपित तलाशी और अभिग्रहण को अवैध नहीं माना जा सकता है।

1973(12) eILR(PAT) SC 305

34. परिणामस्वरूप दो रिट पिटीशन और दो अपीलें खर्चे सहित खारिज की जाती हैं।

अपीलें और रिट पिटीशन खारिज किए गए।

ई०